पंजाब एण्ड सिंध बैंक
प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका
राजभाषा अंकुर
(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

'बैंक हाऊस', प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली-110 008

मुख्य संरक्षक
श्री डी. पी. सिंह, *आई.ए.एस.*
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक
श्री एम. के. जैन एवं श्री के. के. साँसी
कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक
श्री आर. सी. नारायण
महाप्रबंधक

संपादक व प्रकाशक
डॉ. चरनजीत सिंह
मुख्य प्रबंधक
प्रभारी राजभाषा

संपादक मंडल
श्री कंवर अशोक
वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा
श्रीमती शिल्पी सिन्हा, श्री सोनी कुमार
सुश्री मोनिका गुप्ता
राजभाषा अधिकारी

पंजीकरण सं. : एफ. 2(25) प्रैस. 91

राजभाषा अंकुर में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : **मोहन प्रिंटिंग प्रेस**
5/35ए, कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110015 फ़ोन : 98100 87743

अक्तूबर-दिसंबर 2013

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
1.	संपादक मंडल/विषय-सूची	1
2.	सतर्कता आयुक्त श्री जे. एम. गर्ग का उद्‌बोधन	2
3.	राष्ट्रपति का संदेश	3
4.	सी.वी.सी. का संदेश	4
5.	अ.प्र.नि. का संदेश	5
6.	कार्यकारी निदेशक का संदेश	6
7.	कार्यकारी निदेशक का संदेश	7
8.	मुख्य सतर्कता अधिकारी का संदेश	8
9.	संपादकीय	9
10.	संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण रिपोर्ट	10
11.	जागरुकता तंत्र - एक अहम कड़ी	12
12.	सतर्कता आयोग और उसके कुछ पहलु	14
13.	स्वास्थ्य जांच-शिविर	16
14.	पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर का विमोचन....	17
15.	नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग-कुछ सावधानियाँ	18
16.	अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित हिंदी दिवस/पखवाड़ा	20
17.	बैंक द्वारा पी.एच.डी. चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में आयोजित 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह'	23
18.	बैंक के विभिन्न आंचलिक कार्यालय शाखा स्तर पर आयोजित 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह'	24
19.	मनुष्य - रक्षक या भक्षक / अंक 9 का महत्व	26
20.	बैंकों में राजभाषा हिंदी की उपयोगिता एवं महत्व	28
21.	सचु वापारू करहु वापारी	30
22.	अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.)	31
23.	हमारे मुख्य महाप्रबंधक	34
24.	गतिविधियाँ	35
25.	सावधानी हटी, दुर्घटना घटी	36
26.	वित्तीय-समावेशन और वित्तीय साक्षरता	38
27.	भ्रष्टाचार - तेरी सदा ही जय	40
28.	हमारे चित्रकार	41
29.	क्रीड़ा-जगत - उपलब्धियाँ	42
30.	50वीं नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट ...	44

Key note address of Shri J. M. Garg, Vigilance Commissioner at PHD Chamber House, New Delhi on the occasion of 'Vigilance Awareness Week'

Punjab & Sind Bank organized Conference at PHD Chamber House, **August Kranti Marg, New Delhi,** under the aegis of **Head Office Vigilance Department, as** part of **Vigilance Awareness Week** activity being observed at all the offices / branches of the Bank across the country. The Conference was addressed by **Shri J.M.Garg, Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commission** besides **Shri D.P.Singh, IAS, Chairman & Managing Director of the bank.**

In his **key note address, Shri J.M.Garg, Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commission** called upon the senior functionaries of the bank to **work with utmost sincerity, honesty** and **uniformity** in a most **transparent manner**. He emphasized that the Banks should be cautious while **taking over loans** from other Banks / FIs, should avoid deviation from the Bank's own guidelines like **reduction in pricing** etc. Banks should focus **on core Banking operations** and avoid selling third party products to **the borrowers as a compulsion. He expressed concern** about the **frequent frauds** in the Banks and cautioned against the huge exposure to one Unit / Group **in view of spurt in corporate frauds in the Banking Industry.** He also **emphasized** for **meticulous compliance of KYC norms.**

In his remarks, **Shri D.P.Singh, CMD** observed that due compliance of the principles of preventive vigilance are of **paramount importance** as they assure due protection to the field functionaries, if they perform their duties **without fear or favour** and fully apply their mind while taking credit decisions in the working of the bank. He also emphasized the importance of taking timely decisions as **"Delay Breeds Corruption".**

Welcoming the Chief Guest, **Shri M.G.Srivastava, GM & CVO,** highlighted various initiatives under taken by Vigilance Department to strengthen vigilance machinery in the Bank viz bringing out **updated Vigilance Manual,** after a **gap of 23 years**, further strengthening **preventive vigilance** measures, ensuring expeditious disposal of Disciplinary Action Cases, and ensuring **compliance culture** in the Bank. He also highlighted a special drive, **"Mission Compliance"** initiated by the Vigilance Department. The **Flying Squad,** formed for this purpose, has been able to **detect revenue leakage to the tune of Rs.11 crore within one month.**

Shri G.S.Sethi, Field General Manager thanked the Chief Guest, Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commission and the Chairman & Managing Director of the bank for their valuable advice and highly inspiring and thought provoking views in the course of their address on this august occasion. On behalf of all the participants he assured **to comply with word of caution made by Hon'ble Vigilance Commissioner.**

The conference was well attended and **more than 125 senior functionaries** of the Bank were present on the occasion. The word of caution by **Shri J.M.Garg, Vigilance Commissioner will go** a long way in guiding the functionaries of the Bank **to work honestly, diligently, fearlessly and in most transparent manner.**

सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग 28 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2013 के दौरान ''सुशासन का संवर्धन-सतर्कता का सकारात्मक योगदान'' विषय पर सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन कर रहा है।

सुशासन यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि विकास योजनाओं का लाभ आम आदमी, विशेषकर समाज के वंचित तबके तक पहुँचे। एक कारगर तथा उत्साही जागरूकता तंत्र, शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने में योगदान दे सकता है। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से सरकारी सेवकों तथा नागरिकों के बीच भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में तथा शासन में सुधार की ज़रूरत के बारे में बेहतर जागरुकता पैदा करने में सहायता मिलती है। आइए, हम एकजुट होकर जीवन के हर क्षेत्र से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए निरंतर प्रयास करें।

मैं केंद्रीय सतर्कता आयोग से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूँ तथा जागरुकता सप्ताह की सफ़लता की कामना करता हूँ।

प्रणब मुखर्जी

(प्रणब मुखर्जी)

नई दिल्ली

14 अक्तूबर, 2013

Telegraphic Address :
"SATARKTA : New Delhi
E-mail Address
cenvigil@nic.in
Website
www.cvc.nic.in
EPABX
24600200
फैक्स/ Fax : 24651186

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi 110023

सं./ No. 013/ वी.जी.एल. / 092

दिनांक / Dated. 09.10.2013

संदेश

सतर्कता जागरुकता सप्ताह - 28 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 2013

भारत का केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता संकल्पना को बढ़ावा देने की हमारी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि करने के लिए तथा भ्रष्टाचार से संघर्ष करने के उद्देश्य हेतु स्वयं को पुनः समर्पित करने के लिए, प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में सतर्कता जागरुकता सप्ताह के देशव्यापी अनुपालन को प्रोत्साहन देता है । भ्रष्टाचार तब तक सार्थक रूप से कम नहीं हो सकता जब तक सभी संबंधित पक्ष सतर्कता कार्यों में भाग न लें। सरकार, मंत्रालयों, विभागों तथा अन्य अभिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज को व्यापक रूप से सतर्कता प्रक्रियाओं में संपूर्णतः शामिल होने की आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ष इस सप्ताह के लिए चुना गया विषय, सभी संबंधित पक्षों का ध्यान उस विशिष्ट संकल्पना की ओर पूर्ण रूप से आकर्षित करने में मदद करता है जिस पर वर्ष के दौरान ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि सतर्कता को एक प्रबंधन कार्य बनाया जा सके जो कि राष्ट्र के भ्रष्टाचार–रोधी प्रयत्नों में सतत सुधार लाने में सहायक होगा ।

इस वर्ष के लिए, आयोग ने सतर्कता जागरुकता सप्ताह के लिए अपना केन्द्रीय विषय "उत्तम अभिशासन को बढ़ावा देना" चुना है । अच्छे अभिशासन को बढ़ावा देना वर्तमान समय की आवश्यकता है, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में । उत्तम अभिशासन में सतर्कता की भूमिका अग्रसक्रिय तथा सकारात्मक होती है जो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ–साथ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार रोकने में सहायक होती है।

सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान तथा उसके बाद भी, कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित पक्षों के मध्य उत्तम अभिशासन के सिद्धान्तों का प्रचार करने की आवश्यकता है। आयोग यह आशा तथा अपेक्षा करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सभी संबंधित पक्षों द्वारा बेहतर पारदर्शिता, ईमानदारी तथा निष्पक्षता का पालन किया जाएगा। विकसित उत्तम पद्धतियों का आदान–प्रदान किया जाना चाहिए तथा अभिशासन की गुणवत्ता तथा जनता को सेवाएं देने में परिणामी सुधार लाने के लिए ज्ञान एवं कौशल को उन्नत किया जाना चाहिए।

(आर. श्री कुमार)
सतर्कता आयुक्त

(प्रदीप कुमार)
केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

(जे. एम. गर्ग)
सतर्कता आयुक्त

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
का संदेश

साथियो,

भारत सरकार ने समस्त सरकारी/उपक्रम कार्यालयों की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' की स्थापना की है जो पूरे देश में स्थित विभिन्न सरकारी/उपक्रम कार्यालयों के अन्यान्य कार्यों पर निगरानी रखता है। 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' पूरे देश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्य-प्रणाली बनाए रखने हेतु प्रतिपल सक्रिय है। यह सक्रियता बनाए रखने के लिए सतर्कता आयोग पूरे देश में कार्यरत विभिन्न सरकारी/उपक्रम कार्यालयों के सतर्कता तंत्रों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है।

किसी भी संस्थान का मूल स्तम्भ वहाँ कार्यरत विभिन्न इकाईयाँ होती हैं। इनमें से एक मुख्य इकाई है-'सतर्कता तंत्र'। यह तंत्र संगठन के कार्यों पर निगरानी रखता है और संगठन को हानि पहुँचाने वाले तत्वों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की सिफ़ारिश करता है। बैंकिंग क्षेत्र में भी प्रत्येक बैंक का अपना एक 'सतर्कता तंत्र' होता है जो बैंक के वित्तीय लेन-देन संबंधी तथा अन्य कार्यों की निगरानी रखता है। हमारे बैंक का 'सतर्कता तंत्र' काफ़ी सजग है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निवर्हन पूरी ज़िम्मेदारी से करता है और इस दिशा में निरंतर दिशा-निर्देश जारी करता रहता है।

समय परिवर्तनीय है तथा समयानुसार परिस्थितियाँ भी बदलती रहती हैं। प्रतिदिन बदलती परिस्थितियों के साथ हमारे लिए चुनौतियाँ भी बदलती जा रही हैं। जिनमें सबसे बड़ी चुनौती है - भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की बढ़ती घटनाएं आज हमारे समाज के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई हैं। इसे समूल समाप्त करने का केवल एक ही उपाय है और वह है - हमारी स्वयं के प्रति ईमानदारी। जब तक हम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। संस्थाओं आदि में भ्रष्टाचार का मूल कारण है उनमें कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा संबंधित मामलों में शीघ्र एवं उचित निर्णय शक्ति का अभाव। देरी से लिए गए निर्णयों में असमंजसता के कारण भ्रष्टाचार की संभावना का अंदेशा बढ़ जाता है। यदि कार्मिक शीघ्र एवं उचित निर्णय लें तो मामलों/विषयों का शीघ्र निपटान हो सकता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना स्वतः कम हो जाएगी। संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों का कर्तव्य है कि वे अपना कार्य ईमानदारी से करें। विषय के संदर्भ में शीघ्र एवं स्पष्ट निर्णय लेते हुए तुरंत कार्य का निपटान करें। भ्रष्टाचार के प्रति सतर्क रहें। सभी कार्मिकों द्वारा पूरी निष्ठा व ईमानदारी, संस्थान के प्रति विश्वास के साथ कार्य करने से ही बैंक के विकास के साथ-साथ सभी का विकास संभव है।

आपका,

डी पी सिंह

(डी. पी. सिंह) *आई.ए.एस.*
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कार्यकारी निदेशक
महोदय का संदेश

साथियो,

जागरुकता तंत्र किसी निकाय/संस्थान का एक अहम तंत्र है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में प्रत्येक कार्य के सफ़ल संचालन हेतु उसके प्रति सतर्क रहना कितना आवश्यक है। अभी हाल ही में अमेरिका के पूर्व खुफ़िया विश्लेषक 'एडवर्ड स्नोडेन' को 'जर्मन व्हिसल ब्लोअर पुरस्कार-2013' से नवाज़ा गया है। आप जानते ही होंगे कि उन्हें यह पुरस्कार अमेरिका द्वारा दुनिया भर के निवासियों की इंटरनेट जासूसी किए जाने के भेद को दुनिया के समक्ष उजागर करने के लिए दिया गया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको सतर्क रहने की कितनी आवश्यकता है अर्थात् आपका पलक झपकना भी आपके लिए नुकसानदेय हो सकता है। इसी नुकसान से बचने के लिए प्रत्येक निकाय/संस्थान में एक जागरुकता तंत्र स्थापित किया जाता है, जो सजग प्रहरी बन संस्थान के लिए एक 'व्हिसल ब्लोअर' का काम करता है।

आज के इस दौड़ते मशीनी युग में हमारी बढ़ती आकांक्षाओं के साथ, हमारे कार्य को शीघ्र पूर्ण करने की उत्तेजनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। शीघ्र कार्य-पूर्ति की इन बढ़ती उत्तेजनाओं को शांत करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के तौर-तरीके अपनाने से भी नहीं चूकते, जो कि कई बार हमारे लिए अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होते हैं। आज जहाँ विभिन्न प्रकार की मशीनें हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं वहीं उनसे ख़तरा भी उतना ही अधिक बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से कम्प्यूटर से संबंधित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पैसे के लेन-देन के मामले में। जागरुकता तंत्र की इसमें एक अहम् भूमिका रहती है, जो निकाय/संस्थान के ग्राहकों को सुरक्षित एवं सुनियोजित सेवाएं उपलब्ध करवाता है। 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' प्रत्येक वर्ष 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' का आयोजन इसी उद्देश्य के लिए करता है ताकि प्रत्येक जागरुकता तंत्र अपने निकाय के प्रति अपने दायित्वों को समझे तथा उनका पूरी ज़िम्मेदारी से निर्वहन करे।

हमारे बैंक का जागरुकता तंत्र अपनी भूमिका का निर्वहन पूरी ज़िम्मेदारी से करता है जिसके बलबूते हम ग्राहकों को सुरक्षित सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, परंतु हमारी ज़िम्मेदारी यहीं ख़त्म नहीं होती। आने वाला समय हमारे लिए और भी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इस बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक दौर में बेहतर एवं सुरक्षित सेवाएं उपलब्ध कराना इतना आसान नहीं होगा। अतः भविष्य में ग्राहकों को और ज़्यादा अच्छी एवं सुरक्षित सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हमें कमर कसने की आवश्यकता है। साथ ही बैंक के प्रत्येक स्टाफ़-सदस्य को भी अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित एंव जागरुक रहने की भी ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि बैंक को सुनियोजित निकाय बनाए रखने में बैंक के जागरुकता तंत्र की सजग एवं सुसंगठित सेवा के साथ-साथ समस्त स्टाफ़-सदस्य भी अपने कार्य के प्रति पूरी ज़िम्मेदारी से समर्पित रहेंगे।

आपका,

(मुकेश कुमार जैन)

कार्यकारी निदेशक
महोदय का संदेश

साथियो,

किसी भी संस्थान के सफल संचालन हेतु उसकी कार्य-पद्धति की रूप-रेखा का निर्धारण एवं संचालन करने वाली उसकी प्रत्येक इकाई का सुनियोजित होना अत्यंत आवश्यक है। संस्थान की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता एवं संचालन में गुणवत्ता लाने हेतु आवश्यक है कि उसका जागरुकता तंत्र उत्साही एवं कारगर हो। संस्थान का जागरुकता तंत्र जितना अधिक सुदृढ़ एवं नियोजित होगा, संस्थान की कार्य-प्रणाली उतनी ही सुस्पष्ट एवं मज़बूत होगी तथा कार्य-स्थल पर उसकी पैठ भी अन्य संस्थानों से हटकर होगी। इसी संदर्भ में एक सशक्त आशा लिए भारत का 'केंद्रीय सतर्कता आयोग' देश में कार्यरत समस्त केंद्रीय सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। आयोग इसके लिए प्रतिवर्ष 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' का आयोजन भी करता है। इस वर्ष 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' 28 अक्तूबर से 02 नवंबर, 2013 तक मनाया जा रहा है, जिसका विषय है 'उत्तम अभिशासन को बढ़ावा देना'। इस आयोजन से आयोग का उद्देश्य रहता है कि देश के समस्त कार्यालयों की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता, ईमानदारी एवं निष्पक्षता को बढ़ाया जा सके।

हमारे बैंक का जागरुकता तंत्र बैंक की कार्य-प्रणाली को पारदर्शी बनाए जाने के लिए आयोग द्वारा दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों के शीघ्र एवं प्रभावी अनुपालन हेतु तटस्थ है तथा बैंक संबंधी प्रत्येक कार्य पर हर क्षण सतर्कता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। परंतु हर कार्य में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। वर्तमान युग तकनीकी युग है। ऐसे में जागरुकता तंत्र की जिम्मेदारियाँ व दायित्व और भी बढ़ जाते हैं। वर्तमान में बैंक के जागरुकता तंत्र को प्रतिपल अपने शिकार पर पैनी नज़र रखने वाली चील की भांति अपनी नज़रें व ध्यान बैंक की कार्य-प्रणाली पर टिकाए रखने की आवश्यकता है।

प्रतिदिन एक नई चुनौती लेकर आता है तथा प्रतिदिन अपने आप में एक नया अध्याय भी होता है। यदि किसी पुस्तक में संकलित एक भी अध्याय को अधूरा छोड़ दिया जाए या उस पर पूरा ध्यान न दिया जाए तो पुस्तक में निहितार्थ को ग्रहण करना जटिल हो जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जागरुकता तंत्र के साथ-साथ बैंक का प्रत्येक कार्मिक भी अपने कार्य के प्रति सजग एवं सावधान रहे। 'केंद्रीय सतर्कता आयोग' द्वारा प्रतिवर्ष 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' मनाए जाने का उद्देश्य भी यही है कि देश के लिए कार्य करने वाले प्रत्येक संस्थान का प्रत्येक कार्मिक अपने कार्य के प्रति सजग रहे, ताकि मूल उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की भली-भांति प्राप्ति की जा सके। 'केंद्रीय सतर्कता आयोग' से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु बैंक में भी प्रत्येक वर्ष 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' का आयोजन किया जाता है। इस संदर्भ में आइए एक संकल्प लें, कि हम सब अपने-अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, सजग एवं सावधान रहेंगे।

आपका,

किशोर साँसी

(किशोर साँसी)

मुख्य सतर्कता अधिकारी
महोदय का संदेश

साथियो,

आम जनता अपनी धनराशि के लिए बैंक को सर्वाधिक सुरक्षित मानती है। पिछले तीन दशक में लोगों द्वारा बैंक सुविधाओं के प्रयोग और बैंक के प्रति जनता के विश्वास में तेज़ी से वृद्धि हुई है। आज हर आदमी अपनी छोटी से छोटी जमा के लिए बैंक सुविधा लेना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि सुरक्षा के साथ उसे उसकी राशि पर समयोचित ब्याज भी मिल जाता है। ऐसे में आम जनता के विश्वास को बैंकिंग में बरकरार रखना बैंक कर्मियों की प्राथमिक ज़िम्मेदारी बन जाती है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि ग्राहकों को सरल एवं तीव्र बैंकिंग सुविधाओं के साथ सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। बैंक ग्राहकों को अपनी धन-राशि के प्रति असामाजिक तत्वों से किसी प्रकार के भय न रहे इसके लिए बैंक में एक 'सतर्कता जागरुकता तंत्र' की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में प्रत्येक बैंक में स्थापित है।

बैंकिंग में 'फ्रॉड' काफ़ी सुनने में आता है। 'फ्रॉड' शब्द का हिंदी रूपांतर है - धोखाधड़ी। धोखाधड़ी के मूल रूप से तीन कारण हैं - एक अज्ञानता, दूसरा लापरवाही और तीसरा जानबूझकर धोखाधड़ी करना। इनमें से प्रथम कारण सामान्य है क्योंकि ज्ञान के अभाव में ग़लती होना स्वाभाविक है। बैंकिंग सुविधाओं में इसका हर्जाना हमें धन-हानि के रूप में भुगतान पड़ता है। दूसरा कारण है-लापरवाही। हमें बैंकिंग सुविधाओं का ज्ञान तो है, लेकिन उनका समायोजित उपयोग न करने के कारण हम धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। तीसरा व सबसे अहम कारण है जान-बूझकर धोखाधड़ी करना। कई ग्राहक जान-बूझकर यह निकृष्ट कार्य करते हैं परंतु कई बार बैंक-कर्मी भी निजी स्वार्थवश इसका शिकार हो जाते हैं। 'सतर्कता जागरुकता तंत्र' बैंक की गरिमा का ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों की निगरानी रखता है, जिससे कि बैंककर्मी निष्पक्षता एवं निःस्वार्थ भाव से काम करें तथा आम जनता का विश्वास बैंकिंग में बना रहे।

हमारा 'सतर्कता जागरुकता तंत्र' हर क्षण अपने संगठन को ठोस एवं मजबूत सुरक्षा उपलब्ध करवाने में तत्पर है। बैंक की सुरक्षा-व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए हमारा 'सतर्कता जागरुकता तंत्र' बैंक की प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नज़र रखे हुए है। इसके लिए तंत्र में कुछ नई भर्तियां भी की गई हैं जिससे कि तंत्र की शक्ति को बढ़ाया जा सके और सुरक्षा-प्रणाली को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जा सके। बैंक के हर कार्मिक से भी मैं यही आशा करता हूँ कि वे सभी अपने-अपने कार्य को पूरे समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, लगन और सजगता से करें, ताकि बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते वित्तीय अपराधों को रोका जा सके और ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।

आपका,

एम. जी. श्रीवास्तव

एम. जी. श्रीवास्तव
(महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी)

संपादकीय

प्रिय पाठको,

ईमानदारी सबसे अमूल्य विरासत है, जिसे निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। आज समाज में जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है वहाँ ईमानदारी ही हमें विकास-पथ पर अग्रसर करती है। इसके विपरीत भ्रष्टाचार मानव और मानवता दोनों को ही दुर्गति की ओर ले जाता है। आने वाली पीढ़ी पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ईमानदारी से किए गए कार्य के प्रति व्यक्ति न केवल स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है, बल्कि अपने समाज के सम्मुख एक आत्मविश्वास भरी अमिट छवि भी प्रस्तुत करता है। एक ईमानदार व्यक्ति की निष्कपट छवि से एक लम्बी चेन के रूप में कई छवियाँ जुड़ी रहती हैं। ईमानदार व्यक्ति से परिवार की, परिवार से समाज की तथा उस समाज से पूरे देश की विश्व स्तर पर निष्कपट छवि उभर कर सामने आती है।

हम सभी कभी न कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकारवश कोई न कोई ग़लत कार्य अवश्य करते हैं। उस ग़लत कार्य को करते समय हमें यह भी अच्छी तरह मालूम होता है कि यह कार्य ग़लत है और उसके दुष्परिणामों से भी हम भली-भाँति परिचित होते हैं। तदपि हम अपनी इच्छाओं के वशीभूत या अपने अहं के चलते स्वयं को उस ग़लत कार्य को करने से नहीं रोक पाते हैं। हम कहते हैं कि अपने आदर्शों के अनुरूप चलना अच्छा है, लेकिन यदि अपने विकास के लिए कोई सुअवसर मिले तो उस समय आदर्शों को कुछ हद तक लचीला किया जा सकता है। परंतु उस समय हम यह भूल जाते हैं कि भ्रष्टाचार या दुष्कर्म की नींव यहीं से डलती है। जहाँ हमने इन आदर्शों को लचीला किया, समझो भ्रष्टाचार के राक्षस ने हमारे मन के घर में अपना पाँव रख दिया। उसके बाद यह अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम चाहें तो भी इसकी जड़ें नहीं काट सकते। क्योंकि जब कभी हम निजी लाभ के लिए सोचते हैं तो फिर हमारी लालसाएं अपने आप बढ़ती जाती हैं। फिर हम सार्वजनिक हित की अपेक्षा निजी हित को प्राथमिकता देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि परिवार के साथ हम समाज का भी हिस्सा हैं। हमारे ग़लत कार्यों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव समाज एवं देश पर भी पड़ता है। अतः हमें व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। तभी हम देश का समग्र रूप से विकास कर पाएंगे। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो वह तभी कम हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने व अपने कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित एवं ईमानदार हो।

'राजभाषा अंकुर' के इस अंक के माध्यम से सर्वप्रथम मैं आप सभी को अपने बैंक की हॉकी टीम को '50वीं नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट' में मिली जीत पर बधाई देता हूँ। जिसे इस अंक में साझा किया गया है। इस अंक में सतर्कता तंत्र से संबंधित 'जागरुकता तंत्र-एक अहम कड़ी', 'सतर्कता आयोग और उसके कुछ पहलू', जैसे लेखों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने का प्रयास किया गया है। 'भ्रष्टाचारी तेरी सदा ही जय' बढ़ते भ्रष्टाचारी माहौल पर एक करारा व्यंग्य है। बैंकों में राजभाषा प्रयोग को 'नेट बैंकिंग एवं मोबाईल बैंकिंग-कुछ सावधानियाँ', 'बैंकों में राजभाषा हिंदी की उपयोगिता' लेखों में दर्शाया गया है। बैंक व्यापार के केन्द्र-बिंदु 'ग्राहक' संबंधी मुख्य बातें - 'अपने ग्राहक को जानिए' (के.वाई.सी.) लेखों में दर्शाया गया है। 'वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता' लेख वर्तमान समय में बैंकिंग व्यापार की ज़रूरतों पर प्रकाश डालता है। हालांकि यह अंक विशेषांक नहीं है, तथापि इस अंक में भ्रष्टाचार निरोधी व्यवस्था एवं निष्पक्ष व पारदर्शी कार्य-प्रणाली पर विशेष प्रकाश डाला गया है।

चलते-चलते फिर दोहरना चाहूँगा कि हमें अपने और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को समूल नष्ट किया जा सके। आईए! एक ईमानदार व्यक्ति बनकर भ्रष्टाचार रहित समाज का निर्माण करें तथा देश को विकास-पथ पर आगे बढ़ाएं।

आपका,

(आर. सी. नारायण)

मुख्य संपादक - 'राजभाषा अंकुर' एवं
महाप्रबंधक (राजभाषा)

रिपोर्ट

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त-मंत्रालय की राजभाषाई निरीक्षण रिपोर्ट

दिनांक 9 जुलाई, 2013 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त-मंत्रालय, भारत सरकार का राजभाषाई निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान माननीय संसदीय राजभाषा समिति एवं संसदीय समिति/सचिवालय के निम्न सदस्य उपस्थित थे :-

1. प्रो. अलका बलराम 'क्षत्रिय' - संयोजक, सांसद, राज्य-सभा
2. श्रीमती झरना दास वैद्य - सांसद, राज्य-सभा
3. डॉ. रघुवंश प्रसाद - सांसद, लोक- सभा
4. श्री हुकुमदेव नारायण यादव - सांसद, लोक-सभा
5. डॉ. राम प्रकाश - सांसद, राज्य-सभा
6. प्रो. रामगोपाल यादव - सांसद, लोक-सभा

संसदीय समिति सचिवालय के अधिकारीगण

7. श्री प्रदीप कुमार शर्मा - वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
8. श्री सतेंद्र दहिया - वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
9. सुश्री लिडी - रिपोर्टर

वित्तीय सेवाएं विभाग राजभाषा निरीक्षण के दौरान निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे।

10. श्री राजीव टकरू - सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग
11. श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव - अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग
12. श्री आलोक निगम - संयुक्त सचिव (बी.ओ./प्रशासन), वित्तीय सेवाएं विभाग
13. श्री अरविंद कुमार - संयुक्त सचिव (बीमा), वित्तीय सेवाएं विभाग
14. श्रीमती श्रेया गुहा - निदेशक (प्रशासन), वित्तीय सेवाएं विभाग
15. श्रीमती प्रिया कुमार - निदेशक (बीमा), वित्तीय सेवाएं विभाग
16. श्री मिहिर कुमार - निदेशक (रिकवरी/रा.भा.), वित्तीय सेवाएं विभाग
17. डॉ. वेद प्रकाश दूबे - संयुक्त निदेशक (रा.भा.), वित्तीय सेवाएं विभाग

चर्चा के दौरान समिति ने विभिन्न राजभाषाई मुद्दों पर मंत्रालय को मार्गदर्शन दिया तथा राजभाषा नीति के समस्त महत्वपूर्ण प्रावधानों को मंत्रालय, बैंकों, आरबीआई, नाबार्ड, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों में समयबद्ध रूप से निर्धारित समय-सीमा में कार्यान्वित कराने हेतु निर्देश दिए। समिति ने मंत्रालय की प्रभावी मानीटरिंग कार्रवाई की सराहना की तथा पिछले निरीक्षण 11.10.2012 की तुलना में वर्तमान स्थिति पर संतोष व्यक्त किया तथा गृह-मंत्रालय राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 2013-14 में प्रदत्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्देश दिए। व्यक्तिशः आदेश, अंग्रेज़ी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देना तथा यूनिकोड प्रणाली का प्रयोग, राजभाषा पदों के सृजन, राजभाषा कर्मियों की पदोन्नति, विज्ञापनों में हिंदी स्थानीय भाषाओं के अधिकाधिक प्रयोग मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने हेतु उचित कार्रवाई करते हुए अनुपालनात्मक रिपोर्ट संसदीय राजभाषा समिति को दिसंबर 2013 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करने का निर्देश दिया। वित्तीय सेवाएं विभाग के हिंदी अनुभाग द्वारा निर्मित राजभाषा बुकलेट 'राजभाषा नीति का अनुपालन एवं कार्यान्वयन' का विमोचन प्रो. अलका बलराम क्षत्रिय द्वारा किया गया। सांसदों ने राजभाषा प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा सराहनीय कार्यों को और अधिक बढ़ाये जाने हेतु निर्देश दिए।

माननीया संयोजक, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत एवं अनुमोदित सिफ़ारिशों के आठों खंड की पुस्तिका एवं ध्यान देने योग्य बातों से संबंधित पुस्तिका प्रदान की गई। अंत में सचिव (वित्तीय सेवाएं) द्वारा समिति के माननीय संयोजक एवं सदस्यों को धन्यवाद प्रस्तुत किया गया।

- प्रस्तुति : **डॉ. वेद प्रकाश दूबे**
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

सचिव (वित्तीय सेवाएं) श्री राजीव टकरू द्वारा समिति के माननीय सदस्यों के सम्मान में स्वागत भाषण देते हुए।

सचिव (वित्तीय सेवाएं) श्री राजीव टकरू द्वारा समिति के माननीय सदस्यों को पुस्तिका भेंट करते हुए।

निरीक्षण के दौरान माननीय समिति की संयोजक एवं अन्य सदस्यों द्वारा आपसी विचार-विमर्श एवं समीक्षा।

राजभाषा बुकलेट "राजभाषा नीति का अनुपालन एवं कार्यान्वयन" का विमोचन करते हुए माननीय समिति सदस्य।

माननीया प्रो. अलका बलराम 'क्षत्रिय', सचिव (वित्तीय सेवाएं) श्री राजीव टकरू को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रकाशित आठों खंडों का संकलन प्रदान करते हुए।

सचिव (वित्तीय सेवाएं) श्री राजीव टकरू, धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए।

जागरुकता तंत्र - एक अहम कड़ी

- सोनी कुमार

प्रसिद्ध विद्वान् आचार्य कौटिल्य ने राजनीति के अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' में एक राजा के द्वारा राज्य के सुचारु रूप से संचालन एवं सुशासन हेतु एक राजा को शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता होना आवश्यक है तथा राज्य की सुरक्षा के प्रति अपने प्रतिद्वंद्वियों से सचेत रहने को कहा है। इसके लिए उन्होंने चार प्रकार के दुर्गों की स्थापना के निर्देश दिए हैं - औदक, पार्वत, धान्वन और वन दुर्ग। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य एवं प्रजा को शत्रुओं से सुरक्षित रखना था। काल-क्रम में बढ़ते जुर्मों एवं विभिन्न चोरी, डकैती की घटनाओं के बढ़ने के साथ-साथ सुरक्षा के लिए भी नवीन एवं सुदृढ़ सुरक्षा प्रणाली बनाने हेतु विभिन्न प्रयास होते ही रहे हैं, लेकिन यह भी सर्वविदित है कि यदि इस प्रकार की कोई ठोस सुरक्षा प्रणाली की संरचना की जाती है तो भेदिए उसका तोड़ पहले ढूँढने की कोशिश करते हैं और धीरे-धीरे अपने इस प्रयास में वो काफी हद तक सफ़ल भी हो जाते हैं। इसका प्रभाव सुरक्षा प्रणाली के साथ ही संबंधित संगठन पर पड़ना स्वाभाविक है जिससे उसकी कार्य-प्रणाली प्रभावित होती है।

'भारत सरकार' ने केंद्रीय स्तर पर एक 'केंद्रीय सतर्कता आयोग' की स्थापना की हुई है जो देश में कार्यरत विभिन्न सरकारी कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों/उद्यमों आदि कार्यालयों के कार्यों की निगरानी करते हुए उनसे स्पष्ट एवं पारदर्शी कार्य-प्रणाली की आशा करता है। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में एक निजी 'सतर्कता जागरुकता तंत्र' की स्थापना भी की जाती है जो 'केंद्रीय सतर्कता आयोग' के दिशा-निर्देशानुसार कार्य करता है। 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' प्रतिवर्ष एक 'जागरुकता सतर्कता सप्ताह' का आयोजन भी करता है ताकि प्रत्येक संगठन का जागरुकता तंत्र संगठन की स्पष्ट एवं पारदर्शी कार्य-प्रणाली को बनाए रखने हेतु उसके प्रति जागरुक रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' द्वारा 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य विषय उत्तम अभिशासन को बढ़ावा देना था। 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 से 02 नवम्बर, 2013 तक मनाया गया। प्रत्येक संगठन का जागरुकता तंत्र इस आयोजन में सक्रिय सहभागिता करता है। भारत सरकार ने 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' की स्थापना सतर्कता के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु 'श्री के. संस्थानम' की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवरण समिति की सिफ़ारियों पर फरवरी, 1964 में की थी। आईए! 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' के विषय में कुछ विशेष बातें जानें :

- **'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' की पृष्ठभूमिः**

'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' की अवधारणा एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान के रूप में की गई है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है एवं केन्द्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन, समीक्षा करने तथा सुधार करने में सलाह देता है।

राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' को 25 अगस्त, 1998 से 'सांविधिक दर्जा' देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया है।

- **'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' का वर्तमान दर्जा :**

'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' विधेयक, संसद के दोनों सदनों द्वारा वर्ष 2003 में पास किया गया तथा राष्ट्रपति ने 11 सितंबर, 2003 को इस विधेयक को स्वीकृति दी। इस प्रकार 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 45) इसी तिथि से प्रभावी हुआ। आयोग की संरचना निम्नानुसार हैं :-

एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त : अध्यक्ष (वर्तमान में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री प्रदीप कुमार हैं)

सतर्कता आयुक्त सदस्य जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी सदस्य (वर्तमान में श्री आर. श्री. कुमार एवं श्री जे. एम. गर्ग सतर्कता आयुक्त सदस्य हैं)

अप्रैल, 2004 के 'जनहित प्रकटीकरण तथा मुख़बिर की सुरक्षा' पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' को भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरुपयोग करने संबंधी लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफ़ारिश करने वाली एक 'नामित एजेंसी' के रूप में प्राधिकृत किया है।

- **संगठन :**

'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' का अपना स्वयं का सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक खंड तथा एक विभागीय जांच आयुक्त खंड है।

- **'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' के अधिकार एवं कार्य :**

* भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अन्वेषणों के संबंध में अथवा लोक-सेवकों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराधों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कार्यों की निगरानी करना तथा इस उत्तरदायित्व का निष्पादन करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस की स्थापना को निर्देश देना।

* भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभिकथित रूप से किए गए अपराधों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किए जा रहे अन्वेषण कार्य की प्रगति की समीक्षा करना।

* ऐसे किसी भी लेन-देन के मामले में जांच करना अथवा जांच करवाना जिसमें भारत सरकार के कार्यकारी नियंत्रणाधीन संगठन में कार्यरत लोक-सेवक के बारे में संदेह हो कि उसने ऐसा कार्य किसी अनुचित प्रयोजन से अथवा भ्रष्टाचार-पूर्ण तरीके से किया है।

* सतर्कता संबंधी पहलू वाले अनुशासनिक मामलों में अन्वेषण, जांच, अपील, पुनरीक्षण आदि के विभिन्न चरणों में अनुशासनिक तथा अन्य प्राधिकारियों को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सलाह देना।

* भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों तथा संघ के कार्यकारी नियंत्रण में आने वाले अन्य संगठनों के सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निवारण संबंधी कार्य की सामान्य जांच तथा निगरानी करना।

* निदेशक (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो), निदेशक (प्रवर्तन निदेशालय) तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक तथा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों की चयन समितियों की अध्यक्षता करना।

* जनहित प्रकटीकरण तथा मुख़बिर की सुरक्षा के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना अथवा करवाना तथा उचित कार्रवाई की सिफ़ारिश करना।

प्रत्येक संगठन में एक 'सतर्कता जागरुकता तंत्र' की स्थापना की जाती है, जो उसकी विभिन्न इकाईयों की कार्य-प्रणाली पर निगरानी रखे और यदि आवश्यक हो तो उसकी जांच कर सके ताकि ये सभी इकाईयाँ संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा एंव समर्पण भाव से कार्य करें। बैंकिंग क्षेत्र जिसमें प्रतिदिन अनेक मुद्रा लेन-देन संबंधी कार्य होते हैं वहाँ पर इस 'सतर्कता जागरुकता तंत्र' को अधिक निगरानी एंव सावधानी रखने की आवश्यकता है। वर्तमान में विश्व तकनीकी सुविधाओं की ओर बढ़ रहा है। बैंकिंग क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं हैं। आज बैंकिंग सुविधाओं का लाभ घर बैठे लिया जा सकता है, लेकिन इन तक्नीकी सुविधाओं का लाभ जितनी सरलता से लिया जा सकता है वहीं ज़रा सी ग़लती आपको भारी भी पड़ सकती है।

बैंकिंग क्षेत्र ने जबसे ग्राहकों को तीव्र एवं सरल बैंकिंग उपलब्ध करवाने के लिए इंटरनेट के क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाई है, बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता देश के प्रत्येक कोने में संभव हो गई है तथा ग्राहकों का आकर्षण भी बैंकिंग की ओर बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर एक अलर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि तक्नीकी विकास के कारण बैंक और ग्राहकों के बीच तारतम्यता तो बढ़ी ही है पर बढ़ता सायबर ख़तरा भी मुँह बाए सामने खड़ा है। अब बैंकिंग क्षेत्र के सतर्कता जागरुकता तंत्रों को अत्यंत जागरुक एवं सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्राहक और मौत की भांति परेशानी का भी कोई पता नहीं होता कि वह कब आन खड़ी हो और कब हमारे गले की फांस बन जाए।

हालांकि बैंकिंग क्षेत्र में सभी बैंकों के जागरुकता तंत्र काफ़ी सतर्क हैं, परंतु फिर भी हमें सावधानी एवं सुरक्षा हेतु नित्य ही नई पद्धतियों, प्रणालियों व विधियों की खोज में लगे रहना चाहिए ताकि हम संगठन में होने वाली विभिन्न क्रियाओं पर निगरानी रखने में सक्रिय रहें, जिससे कि संगठन को ठोस एवं सुदृढ़ सुरक्षा प्रणाली मुहैया कराई जा सके।

- प्र. का. राजभाषा विभाग
नई दिल्ली

"सतर्कता आयोग और उसके कुछ पहलु"

उपदेश सिंह सचदेवा

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नियमों के अनुसार सभी कर्मचारियों से सरकार एक प्रतिज्ञा लेती है। इस प्रतिज्ञा को पढ़ कर कर्मचारियों को हस्ताक्षर कर प्रमाणित करना होता है कि वह इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। ज़रा देखें यह प्रतिज्ञा क्या है और इसके विभिन्न पहलू क्या हैं?

प्रतिज्ञा

हम भारत के लोक-सेवक, सत्य-निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यालयों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठन को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे।

देखें इस प्रतिज्ञा में क्या-क्या विशेष बातें हैं :-

1. सत्य निष्ठा : प्रतिज्ञा में सत्य-निष्ठा का होना आवश्यक है।
2. ईमानदारी और पारदर्शिता : कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने का निरंतर प्रयत्न (शब्द निरंतर का अपना महत्व है)
3. भ्रष्टाचार : जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार मिटाने की इच्छा और प्रयत्न।
4. सचेत रहते हुए : सचेत होने ही की शपथ।
5. संगठन को अपने प्रयासों से गौरवशाली बनाने का यत्न।
6. कर्तव्य का पूर्ण ईमानदारी से पालन।
7. भय और पक्षपात के बिना कार्य करना।

यदि प्रतिज्ञा और उसमें से निकले बिंदुओं को देखा जाये तो प्रश्न केवल एक ही रह जाता है। वह है जो हम कहते हैं (लिख कर भी) क्या वो हम करते भी हैं?प्रतिज्ञा पर तो हमने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन जो कुछ प्रतिज्ञा में हमने करने को माना, क्या वो हम करते भी हैं? यदि हाँ, तो किस हद तक?

विचार करें तो देखेंगे कि भ्रष्टाचार ने देश की अर्थव्यवस्था की जड़ें खोद कर रख दी हैं। इस कार्य को करने कोई मंगल ग्रह या फिर चन्द्रमा से तो आया नहीं। यह तो 'हम' ही करते हैं।

ज़रा और गौर से देखें तो पता चलेगा कि केवल हस्ताक्षर करने के सिवाय हम कुछ भी तो नहीं करते जिसके लिए हमने प्रतिज्ञा ली। बात साफ़ है। यदि सभी कर्मचारी/लोकसेवक प्रतिज्ञा का ठीक से पालन करें तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय जांच ब्यूरो/पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के लिए कोई ख़ास करने को नहीं रह जाएगा।

भ्रष्टाचार का तो कारण ही यही है कि हम न ईमानदार हैं और न हममें पारदर्शिता है। फिर इस झूठी शपथ को सत्य में बदलने के लिए क्या किया जाए।

1. चरित्र-निर्माण
2. उच्चाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों की सूक्ष्मता से जांच।
3. इन दोनों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण-बदलाव लाना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि जो भी जैसे भी हम बन जाते हैं, लगभग जीवन भर वैसे ही रहते हैं। 'चरित्र निर्माण' में अधिक जमा-घटा नहीं होती।

सरकारी दफ़्तरों से संबंधित, जिसमें बैंक भी शामिल हैं, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' सबसे बड़ी संस्थान है। ये एक सलाहकार इकाई है। इसके आदेश/निर्देश अतिआवश्यक नहीं है, केवल सलाह स्वरूप हैं। सरकारी दफ़्तर इसे मान भी सकते हैं और नहीं भी। ये उनकी मर्ज़ी पर निर्भर है।

'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' की स्थापना 1954 में हुई थी। सन् 1964 में संस्थान कमेटी की सिफ़ारिशों के आधार पर इसे स्थापित किया गया था। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा सन् 1998 में एक अध्यादेश के तहत मिला। सितंबर 2003 में अध्यादेश के बदले अधिनियम बन गया क्योंकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग एक सरकारी संस्था है, कोई भी भारतीय नागरिक इससे सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग तभी काम करता है जब इसके पास कोई शिकायत आती है और शिकायत के स्रोत हैं :-

1. जो आम जनता से आती है।
2. जो समाचार-पत्रों और अन्य समाचारों के माध्यम से आती है।
3. जो दफ़्तर की फाइलों पर आधारित होती है।
4. जो जांच रिपोर्ट पर आधारित हो।
5. जो जांच कमेटी, सी.ए.जी. पर आधारित हो।
6. जो ए.सी.पी., डी.जी. तथा अन्य एजेंसियों की जांच या अनुसंधान पर आधारित है।

इनमें से कहीं से भी सूचना मिलने पर केन्द्रीय सतर्कता कमेटी हरकत में आ जाती है।

सरकारी दफ़्तरों में अक्सर देखा गया है कि ये मामले जिनमें प्रशासन ज़िम्मेदार होता है उन पर भी सतर्कता के मामलों के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

सतर्कता वाले मामले निम्नानुसार हैं :-

1. अवैध धन की मांग तथा स्वीकृति।
2. सरकारी पैसों/संपत्ति का गबन।
3. सरकारी धन के मामलों में धोखा।
4. स्वयं या किसी व्यक्ति के अनुचित हित के लिए दस्तावेज़ों की हेरा-फरी।
5. बिना उद्देश्य झूठा खर्च दिखलाना।
6. दूसरों को फ़ायदा देने के लिए सरकारी धन का दुरूपयोग।
7. आय से अतिरिक्त संपत्ति का मामला।
8. झूठे बिल दिखाकर यात्रा भत्ता/मकान का किराया भत्ता लेना।
9. निजी व्यापार आदि करना।
10. भ्रामक/झूठी संपत्ति विवरणी जमा करना।
11. कदाचार नियम के तहत प्रापर्टी या उपहार प्राप्त कर न दर्शाना।
12. अपने कार्य में असतर्कता बरतने की वजह से सरकार के धन का नुकसान कराना तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना।
13. सब्सक्रिप्शन को ग़ैर-आधिकारिक रूप में बनाना।
14. ग़ैर-कानूनी ऋण देना तथा उधार देना।
15. स्वयं तथा अपने परिजनों के हितों के लिए शक्ति या अधिकार का दुरुपयोग।

नीचे लिखे विषय सतर्कता के घेरे में नहीं आते हैं :-

1. विलम्ब तथा चूक जिससे सरकार को कोई हानि न हो।
2. बिना आज्ञा के अनुपस्थिति
3. अवहेलना
4. अपात्रता

केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो

केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्वयं कोई भी जांच नहीं करता। आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग केन्द्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश देता है। सी.बी.आई. - सी.वी.सी. के अधीन काम करती है।

अफ़सोस की बात है कि सी.बी.आई. का कंविक्शन रेट लगभग 4 प्रतिशत ही है।

निष्कर्ष :

यदि हम कर्मचारी सतर्कता ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करें तो सतर्कता आयोग की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी।

सतर्कता विभाग को भी सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि सभी को ये निर्देश मिले कि विभाग सदा सचेत रहता है।

इससे न तो सरकार के पैसों/सम्पत्ति की हानि होगी, बल्कि कर्मचारी के ख़िलाफ अनुपालनात्मक तथा क़ानूनी मामलों में भी कमी आएगी।

- सेवानिवृत सहायक महाप्रबंधक

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के अंतर्गत बैंक द्वारा प्रायोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच-शिविर की झलकियाँ

निःशुल्क जांच-शिविर हेतु पंजीकरण।

पारम्परिक रूप से दीप-प्रज्ज्वलन कर निःशुल्क जांच-शिविर का शुभारंभ करते हुए बैंक के महाप्रबंधक श्री जी. एस. सचदेवा (मा.सं. वि. विभाग)

जांच-शिविर के दौरान उपस्थित जन-समूह।

जांच-शिविर के दौरान उपस्थित जन-समूह को सम्बोधित करते हुए महाप्रबंधक श्री जी. एस. सचदेवा।

कैम्प स्मारिका का विमोचन करते हुए महाप्रबंधक श्री जी. एस. सचदेवा एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति।

स्वास्थ्य जांच के दौरान नेत्रों की जांच करते हुए चिकित्सक।

'पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर'
का विमोचन करते हुए बैंक के कार्यकारी निदेशक महोदय

बैंक की गृह-पत्रिका 'पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर' का विमोचन करते हुए कार्यकारी निदेशक श्री एम. के. जैन. एवं श्री किशोर कुमार साँसी।

पत्रिका के विमोचन के दौरान उपस्थित बैंक के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य महाप्रबंधक श्री जी. एस. बिन्द्रा, , महाप्रबंधक श्री हर्षबीर सिंह, श्री आर. सी. नारायण एवं राजभाषा विभाग के अधिकारी।

पत्रिका के विमोचन उपरांत पत्रिका के नवीनतम अंक को दर्शाते हुए बैंक के कार्यकारी निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक एवं राजभाषा विभाग के अधिकारी।

पत्रिका के विमोचन के उपरांत पत्रिका में संकलित सामग्री का अवलोकन करते हुए उच्चाधिकारीगण।

'पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर' के 'राजभाषा विशेषांक' के सुंदर प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं अंकित करते हुए कार्यकारी निदेशक श्री एम. के जैन एवं श्री किशोर कुमार साँसी

नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग – कुछ सावधानियाँ

जे. एस. ढींगरा

आधुनिक युग में इंटरनेट ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। बटन दबाते ही आप विश्व की छोटी-बड़ी सभी जानकारियाँ पा सकते हैं। इस आधुनिक सुविधा का लाभ हम बैंकिंग सेक्टर में भी उठा रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बैंकों द्वारा अपने खाताधारकों को उनके खाते से लेन-देन की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसे संक्षिप्त में नेट बैंकिंग भी कहा जाता हैं। बैंक की वेबसाइट पर ग्राहक 'लॉग ऑन' करता है तथा यूज़र आई.डी. एवं पासवर्ड एवं पिन द्वारा उसकी पहचान की जाती है। इंटरनेट बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैंक के ग्राहक को रुपयों के लेन-देन, ऋण, बिलों के भुगतान आदि की सुविधा प्रदान करना है। ऑन लाइन बैंकिंग में क्रेडिट कार्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है।

इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही मोबाइल बैंकिंग का भी दायरा बढ़ा है। बिना बैंक गए और कोई लिखत-पढ़त किए घर बैठे मोबाइल के जरिये बैंकिंग की सहूलियत ने इसे काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय बनाया है, सभी बैंक आजकल अपने ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान कर रहें हैं।

जिस प्रकार सड़क पर वाहनों का आवागमन लगा रहता है उसी प्रकार इंटरनेट पर हर समय सूचनाओं का आवगमन लगा रहता है। हालांकि सभी बैंक नेट बैंकिंग को जहाँ तक संभव है सुरिक्षत रूप से उपलब्ध करवाते हैं परंतु फिर भी सूचनाओं को चुराकर ग्राहकों के खातों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। यातायात के संबंध में हिदायत दी जाती है कि 'सावधानी हटी और दुर्घटना घटी', यह इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के संबंध में भी शत-प्रतिशत लागू होती है। हर सहूलियत के साथ कुछ जोख़िम भी जुड़े हुए होते हैं, जिनसे थोड़ा सतर्क रह कर और कुछ सावधानियाँ बरत कर बचा जा सकता है। बात करते हैं ऐसी ही कुछ मूलभूत सावधानियों की जिनका आपको इंटरनेट बैंकिंग एंव मोबाइल बैंकिंग करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

इंटरनेट बैंकिंग संबंधी कुछ मूलभूत सावधानियाँ

- बैंकिंग संबंधी अपनी सभी सूचनाओं को प्राइवेट रखें। अपना पिन या पासवर्ड किसी को न बताएं।
- पासवर्ड ऐसा हो जिसमें अक्षर, नंबर एवं स्पेशल अक्षर (करेक्टर) तीनो हों, मसलन qrt416@Md। पासवर्ड चुनते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके नाम, जन्म-तिथि, बच्चे के नाम आदि पर न हो क्योंकि ऐसे पासवर्ड को किसी के लिए तोड़ना (क्रैक करना) आसान होता है। अपना पासवर्ड थोड़े-थोड़े समय बाद बदलते रहें।
- सभी चीज़ों के लिए एक ही पासवर्ड का प्रयोग (यूज) न करें। अलग-अलग बैंकों और ई-मेल अकाउंट के लिए अलग-अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। बैंक संबंधी अपने किसी भी बेकार डॉक्युमेंट को ऐसे ही कूड़ेदान में न फेंके। फेंकने से पहले उसे पूरी तरह फाड़ दें।
- कई बार आपको ऐसे ईमेल मिल सकते हैं जिनमें आपसे आपका पासवर्ड और पर्सनल जानकारी (इन्फर्मेशन) मांगी जा सकती हैं। कई बार ऐसा धोखा भी होता है कि ये मेल पुलिस या बैंक की तरफ से आए हैं। ऐसे मेल्स में लिंक दिया जाता है, जिसे क्लिक करने को कहा जाता है। यह सब भूलकर भी न करें। याद रखें, पुलिस या बैंक को आपसे आपका पासवर्ड या पिन मांगने को कोई हक़ नहीं हैं। फिर भी अगर चाहें तो ऐसे किसी भी मेल की सच्चाई जानने के लिए अपने बैंक में फ़ोन कर लें।
- बैंक की साइट पर सीधे टाइप करके जाएं, इसके लिए किसी लिंक को फॉलो करके जाना सही नहीं है।
- बैंकों की एसएमएस अलर्ट सर्विस का प्रयोग करें। इससे आपको हमेशा पता चलेगा कि आपके अकाउंट से कितना पैसा निकाला गया और कितना पैसा डाला गया।
- अपने अकाउंट और ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री थोड़े-थोड़े दिनों के बाद चेक करते रहें।
- किसी भी प्रकार के लेन-देन के बाद अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते से लॉग आउट अवश्य करें।

- ऑन लाइन शॉपिंग के लेन-देन की हार्ड कॉपी संभाल कर रखें।
- अपने बैंक खाता विवरणी की जानकारी नियमित लेते रहें ताकि आपको अपने खाते की नवीनतम जानकारी मिलती रहे। अपने पासवर्ड को लगातार परिवर्तित करते रहें।
- अपने कम्प्यूटर में एंटी वायरस सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन ज़रूर डालें। ऐसा करने से अवांछित प्रोग्राम कम्प्यूटर से दूर रहेंगे तथा ही लेन-देन करना भी अधिक सुरिक्षत रहेगा।
- बैंक कभी भी अपने खाताधारकों से इस तरह की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने को नहीं कहता है।
- जहाँ तक हो सके, ऑन लाइन लेन-देन के लिए साइबर कैफे व सांझे कंप्यूटर का प्रयोग न करें। यहाँ जानकारी का दुरुपयोग होने का ख़तरा है। यदि साइबर कैफे या सांझे कंप्यूटर से प्रयोग करते भी हैं, तो अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलते रहें। इससे आपका पास-वर्ड सुरक्षित रहेगा।
- कभी भी अपने कंप्यूटर सिस्टम को सीधे बंद न करें। प्रायः लॉग ब्राउजर बंद कर कंप्यूटर सीधे बंद कर देते हैं जो असुरिक्षत हो सकता है। हमेशा कंप्यूटर सिस्टम ठीक से 'लॉग ऑफ' करें।
- अपने पास-वर्ड को किसी कागज़ पर न लिखें। इसे सरलता से हैक किया जा सकता है।
- अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में पावर ऑन पास-वर्ड डाल दें ताकि आपके अलावा कोई और उसे खोल ना सके। सिस्टम पर स्क्रीनसेवर पास-वर्ड डाल दें ताकि कोई और सिस्टम का प्रयोग न कर सके।

मोबाईल बैंकिंग संबंधी कुछ मूलभूत सावधानियाँ :

हालांकि मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम से काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है। फिर भी निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखकर इस सुरक्षा को और बढ़ाया जा सकता है :

- मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कराने के बाद सबसे पहले यह देखें कि आपके फ़ोन का ऑटो लॉक काम कर रहा है या नहीं। यदि यह एक्टिवेट नहीं है तो सबसे पहले मोबाइल में ऑटो लॉक को चालू करें, ताकि जब फ़ोन यूज़ में नहीं होगा तो लॉक अपने आप लग जाएगा। लॉक खोलने के लिए पासवर्ड ऐसा चुनें, जिसे क्रैक कर पाना मुमकिन न हो। इसके लिए 8 या इससे ज़्यादा करेक्टर वाले पासवर्ड में आप करेक्टर (अक्षर), न्यूमेरिकल्स (अंक) और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ कर स्ट्रांग पासवर्ड तैयार कर सकते हैं।
- टेक्स्ट मैसेज के द्वारा बैंकिंग संबंधी कोई भी अहम या गोपनीय सूचना मसलन अकाउंट नंबर, पासवर्ड, पैन कार्ड और जन्म-तिथि आदि का खुलासा न करें। हैकर्स इन सूचनाओं का इस्तेमाल ही बैंक अकाउंट को हैक करने में कर सकते हैं।
- अपने मोबाइल को सिक्योरिटी सॉफ़्टवेयर से प्रोटेक्ट करें। मोबाइल बैंकिंग संबंधी धोखाधड़ी से बचने के लिए यह आपको मदद करेगा।
- अपने स्मार्टफोन को वायरस से बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि जब आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल न करें तो उसे स्विच ऑफ कर दें। ब्ल्यूटूथ ऑन रहने से हैकर्स को आपके मोबाइल तक पहुँचने का मौका मिल सकता है।
- मोबाइल से कोई नया ऐप्लीकेशन, गेम, पिक्चर, म्युजिक या वीडियो आदि डाउनलोड करते समय ध्यान रखें कि जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हैं, वह साइट भरोसेमंद हो। कई बार ऐसी फाइलों के जरिये अक्सर आपको फ़ोन हैकिंग का शिकार हो जाता है या उसमें वायरस भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल से चेन मैसेज को भी डिलीट कर दें।
- मोबाइल का हैकिंग और वायरस से बचाए रखने के लिए लगातार फायरवाल व सेफ़्टी सॉफ़्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। मोबाइल फ़ोन बनाने वाली या कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियाँ इनका समय-समय पर अपडेट वर्जन मुहैया कराती रहती हैं, जिन्हें इंस्टाल करते रहना चाहिए।
- अपने मोबाइल ट्रांजेक्शन को सुरक्षित रखने के लिए रोज़ाना ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करते रहने की आदत बना लेना अच्छा रहता है। यह आदत आपके लिए काफी सुरक्षित रहेगी।

नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग के प्रयोग से हिचकिचाने या डरने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है सिर्फ़ सतर्कता एवं सावधानी की। कुछेक आसान एवं मलूभूत हिदायतों को ध्यान में रखकर नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग सुविधा का पूरा एवं सुरक्षित लाभ उठाया जा सकता है।

- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
नई दिल्ली

अखिल भारतीय स्तर पर

आयोजित हिंदी दिवस/पखवाड़ा

‘सतर्कता जागरुकता सप्ताह’ के अवसर पर सतर्कता आयुक्त श्री जे. एम. गर्ग का संबोधन

सतर्कता आयुक्त श्री जे. एम. गर्ग का स्वागत करते हुए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह आई.ए.एस.

सतर्कता जागरुकता सप्ताह के अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए सतर्कता आयुक्त श्री जे. एम. गर्ग।

दीप प्रज्वलित करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस.।

मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री एम. जी. श्रीवास्तव दीप प्रज्वलित करते हुए।

फील्ड महाप्रबंधक, श्री जी. एस. सेठी दीप प्रज्वलित करते हुए।

महाप्रबंधक, श्री हर्षबीर सिंह दीप प्रज्वलित करते हुए।

सतर्कता जागरुकता सप्ताह के आयोजन के अवसर पर सतर्कता आयुक्त श्री जे. एम. गर्ग, उच्चाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाते हुए।

सतर्कता जागरुकता सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर प्र. का. स्तर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस. बैंक के उच्चाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाते हुए।

उच्च अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री एम. जी. श्रीवास्तव।

बैंक के उच्च अधिकारियों से सतर्कता के विषय पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस.।

दर्शकों को संबोधित करते हुए सतर्कता आयुक्त श्री जे. एम. गर्ग।

बैंक के अद्यतन सतर्कता मैनुअल का विमोचन करते हुए सतर्कता आयुक्त श्री जे. एम. गर्ग।

प्रधान कार्यालय सतर्कता विभाग द्वारा चलाए गए ‘मिशन कम्प्लायंस’ के अंतर्गत राजस्व के अपव्यय के मामले की खोज करने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्मिक को बधाई तथा नकद पुरस्कार देते हुए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस.।

पी.एच.डी. चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में सतर्कता आयुक्त श्री जे. एम. गर्ग के साथ बैंक के उच्चाधिकारी।

बैंक के विभिन्न आंचलिक कार्यालय| सतर्कता जागरूकता

आंचलिक कार्यालय, हरियाणा।

आंचलिक कार्यालय, जालंधर।

आंचलिक कार्यालय, फरीदकोट।

आंचलिक कार्यालय, फरीदकोट।

आंचलिक कार्यालय, कोलकाता।

शाखा यमुना नगर।

शाखा स्तर पर आयोजित सप्ताह

दिनांक 28.10.2013 से 02.11.2013 तक मनाए गए 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' के आयोजन अवसर पर बैंक कार्मिकों तथा जन-साधारण को सतर्कता जागरुकता के मूल उद्देश्यों की जानकारी देते हुए श्रीमती अमरजीत कौर, प्रधान, जिला परिषद, मोगा।

आंचलिक कार्यालय, गुरदासपुर।

आंचलिक कार्यालय, कोलकाता।

शाखा डी.ए.वी. महिला कॉलेज करनाल।

शाखा एस.वी.एम., जगाधरी।

मनुष्य - रक्षक या भक्षक

- मनजीत कौर

पवन, पानी और पृथ्वी के महत्व को दर्शाते हुए गुरुवाणी में लिखा है - **''पवण गुरू, पाणी पिता, माता धरत महत्त''** अर्थात् पवन को गुरू, पानी को पिता और धरती को माँ का दर्जा दिया गया है। वायु जो हम साँस लेते है, पानी जो जीवन-स्रोत है और धरती जो हमें अन्न और आसरा देती है। इन सब प्राकृतिक उपहारों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए और सोच-समझ कर इनका उपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। इन सभी अति-आवश्यक तत्वों के उपयोग पर अगर हमारा अधिकार है तो इनके संरक्षण की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। विकास और प्रगति के पथ पर चलते हुए, हमें ध्यान रखना होगा कि प्राकृतिक संतुलन न बिगड़े। प्रगतिशील देशों के रहन-सहन से पर्यावरण को हानि पहुँच रही है। वहाँ पर ''ग्रीन हाऊस'' गैसों का उत्सर्जन बहुत अधिक है। एक गैलन पेट्रोल के चलने से 8 किलो कार्बन डाई-ऑक्साईड उत्पन्न होती है और औसतन एक पेड़ एक वर्ष में सिर्फ़ 24 किलो CO2 सोखता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर भी हम इस क्षति को रोक नहीं सकते, उसके लिए हमें पेट्रोल की खपत पर अंकुश लगाना होगा। इसी प्रकार आधुनिक उपकरणों के निर्माण में बहुत अधिक ऊर्जा और पानी का व्यय होता है और प्रदूषण की उत्पत्ति होती है। क्या हम जानते हैं कि एक कम्प्यूटर को बनाने में 42000 गैलन पानी का उपयोग और बहुत ऊर्जा की खपत होती है। इसी तरह अगर कपड़े मशीन में न धुलें तो 3 बिलियन ऊर्जा की बचत प्रति वर्ष होगी और पानी की अलग।

उपरोक्त का अर्थ यह नहीं है कि हम आधुनिक उपकरणों का उपयोग न करें। अपितु सोच-समझ कर सावधानी से सदुपयोग करें। व्यर्थ में बहुमूल्य पदार्थ नष्ट न करें, केवल आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें। ऐसे पदार्थों/वस्तुओं का उपयोग करें जोकि रीसाईकिल हो सकें/रीसाइकल्ड वस्तुओं का उपयोग बहुत लाभप्रद होता है उदाहरणतः कागज़ को रीसाईकल करने से पेड़ों की बचत तो होती ही है, साथ ही प्रदूषण भी कम होता है और इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर सीधा पड़ता है।

व्यक्ति और सामूहिक स्तर पर सचेत हों तो हम यह ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं। अगर हम सावधानी पूर्वक-पानी, बिजली, तेल, पेपर आदि का सदुपयोग करें उनकी थोड़ी बहुत भी बचत कर सकें, तो इसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है। इनका अपव्यय प्राकृतिक संतुलन को नष्ट कर रहा है और इसका दुष्परिणाम हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को ही भुगतना पड़ेगा। समय रहते प्राकृतिक नियामतों की संभालने के प्रति जागरुक न होने पर प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है और सब जीव-जन्तुओं को आपदाएं झेलनी पड़ती हैं।

अगर हम आस-पास की गंदगी व सफ़ाई के प्रति सचेत नहीं हैं, सामाजिक हित के लिए बनाए गये नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें शिकायत करने का भी कोई हक़ नही है। वास्तविकता में हम सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत लाभ को अधिक महत्व दे रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों पर हम प्रायः छिलके, बोतलें, प्लास्टिक, पौलीथीन बैग आदि फैंक कर चल देते हैं और फिर कहते हैं कि साफ़-सफ़ाई की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं है। एक ज़िम्मेदार, सचेत नागरिक अपने सामाजिक कर्त्तव्य को समझ अपनी बुद्धिमता और संवेदनशीलता का परिचय देता है। पृथ्वी ग्रह पर मौजूद प्राणियों में मनुष्य में यह क्षमता है कि वह इस जीवन और प्रकृति के आधार अर्थात् हवा-पानी, मिट्टी, खनिजों का उपयोग -सुनियोजित ढंग से करें और इनके संरक्षण के लिए नियोजित ढंग अपनाएं।

हालांकि कई दूसरे जीव-जन्तु/पेड़-पौधे स्वभाविक ढंग से यह कार्य करते हैं, बड़े संकट जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी आदि से मनुष्य जाति ही योजनाबद्ध प्रणाली से निपट सकती हैं, ताकि जान-माल की कम से कम क्षति हो। परंतु यह तभी संभव है, जब मनुष्य जाति रक्षक की भूमिका अपनाएं न कि भक्षक की। भौतिक सुखों के लालच में हम अपनी 'रक्षक' की भूमिका के विपरीत हम प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करते जा रहे हैं। ज़रूरतों की तो पूर्ति हो सकती है, पर लालच की नहीं। अपनी भूल 'रक्षक' की भूमिका के विपरीत जाने से - चोरी-चकारी, छीना-झपटी, कलह-क्लेश, हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। अपने विकास और खुशहाली के लिये आवश्यक है कि अपने स्वभाव को अपनी मूल भूमिका के अनुरूप लाएं।

ग्लोबल वार्मिंग इस समय की बड़ी चिंता है। पृथ्वी पर जिन चीज़ों का उपयोग हम कर रहे हैं, उनसे तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। हम अपनी ज़रूरतों पर थोड़ा अंकुश लगा, आदतों को थोड़ा बदल सकते हैं और अगर निम्न तरीके अपनाएं, तब प्राकृतिक और मानवीय उपहारों या संरक्षण, आने वाली पीढ़ियों के लिए उपहार होगा :

1. प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम से कम करें।
2. व्यर्थ में बिजली के प्रयोग से बचें।
3. कागज़ को सोच-समझ कर इस्तेमाल करें।
4. पैट्रोल की खपत कम करें - पैदल चलें।
5. पुरानी वस्तुओं की रिसाईकिल करें
6. पानी का अपव्यय तो कदापि नहीं करें, 'जल ही जीवन है'।
7. पेड़-पौधे लगाएं और उनका संरक्षण करें।
8. आत्म-विश्लेषण करते रहें-जीवन जीने की नई प्रफुल्लित सोच अपनाएं।

- आंचलिक कार्यालय (दिल्ली-।), नई दिल्ली

अंक 9 का महत्व

नौ रत्न : 1. हीरा 2. माणिक, 3 पन्ना, 4. मोती, 5. गोमेद, 6. मूंगा, 7. लहसुनिया, 8. पुखराज, 9. नीलम।

नौ निधियाँ/नौ खजाने : 1. पदम (सोना-चांदी) 2. महापदम (हीरे-जवाहरात) 3. शंख (बढ़िया भोजन व वस्त्र) 4. मकर (शस्त्र विद्या की प्राप्ति) 5. कच्छप (वस्त्रादि का व्यापार) 6. कुंदन (सोने का व्यापार) 7. मुकुंद (राग व कोमल हुनरों की प्राप्ति) 8. नील (मोती-मूंगे का व्यापार) 9. वरच या खरब।

नौ स्थायी भाव : 1. प्रेम, 2. उत्साह 3. क्रोध 4. भय 5. करूणा 6. जुगुप्सा 7. विस्मय 8. निर्वेद 9. हास।

शरीर के नौ द्वार : 2. आँखें 2. कान, 1. नाक, 1. मुख, 1. मूत्र द्वार 1. मल द्वार।

नौ रस (साहिय के) : 1. श्रृंगार, 2. हास्य 3. करूण 4. रौद्र 5. वीर 6. भयानक 7. वीभत्स 8. अद्‌भुत 9. शांत।

नौ देवियाँ व पूजन-मंत्र : 1. शैलपुत्री-ओं कुमारिकार्य नमः 2. ब्रहमचारिणी-ओं त्रिमूर्तिरूपायै नमः 3. चन्द्रघंटा-ओं कल्याणी नमः 4. कुष्माण्डा-ओं रोहिणी नमः 5. स्कंदमाता-ओं काल्यै नमः 6. कात्यायिनी-ओं चण्डिकायै नमः 7. काल-राशि-ओं शाम्भव्यै नमः 8. महागौरी-ओं दुर्गायै नमः 9. सिद्धदात्री-ओं सुभद्रायै नमः।

नौ ग्रह : 1. सूरज 2. चन्द्रमा 3. मंगल 4. बुध 5. बृहस्पति 6. शुक्र 7. शनि 8. राहू 9. केतु।

नौ नाथ : 1. आदि नाथ 2. मच्छिन्द्र नाथ 3. उदय नाथ 4. संतोख नाथ 5. कंबड़ नाथ 6. सत्य नाथ 7. अचंभा नाथ 8. चौरंगी नाथ 9. गोरखनाथ।

भारतीय संस्कृति के नौ आधार स्तंभ : 1. चार वेद, 2. दो उपवेद, 3. तीन वेदांत 4. अठारह पुराण, 5. पाँच उप पुराण 6. ग्यारह उपनिषद् 7. सात स्मृतियाँ 8. आठ नीतिशास्त्र 9. नौ छंद।

मुगल बादशाह अकबर के नौ दरबारी कवि : 1. अबुल फ़ज़ल 2. फैज़ी 3. तानसेन 4. राजा बीरबल 5. राजा टोडरमल 6. राजा मान सिंह 7. अब्दुल रहीम ख़ान-ए-खाना 8. फ़कीर अजिओं-दीन 9. मुल्लाह दो पिअज़ा

- संग्रहकर्ता : **हरीश कुमार सहगल**
अ.प्र.नि. सचिवालय, नई दिल्ली

बैंकों में राजभाषा हिंदी की उपयोगिता एवं महत्व

मनजीत सिंह मल्होत्रा

भारतवर्ष यद्यपि "अनेकता में एकता" वाला देश है तथापि इस देश में भाषा को लेकर जितने आंदोलन हुए हैं, उतने दुनिया के किसी देश में नहीं हुए। लेकिन भारत सरकार ने इस स्थिति का सामना बड़ी बुद्धिमता एवं दूरदर्शिता के साथ किया और राष्ट्र को हिंदी भाषा समर्पित की।

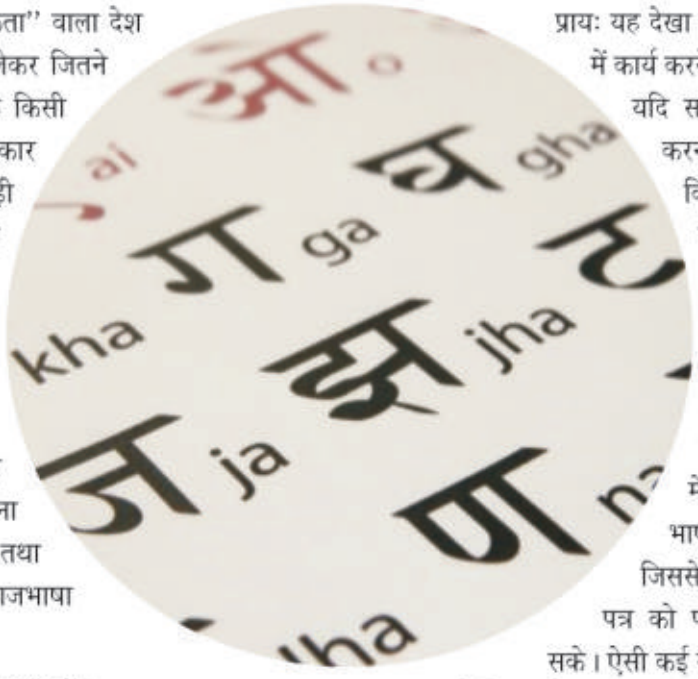

हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सारे देश को एक सूत्र में पिरो सकती है और इसलिए हिंदी भाषा को देश की अन्य भाषाओं की तुलना में उपयुक्त स्थान दिया गया है तथा साथ ही साथ संविधान में इसको राजभाषा का स्थान दिया गया है।

सरकारी कार्यालयों की अपेक्षा बैंकों में हिंदी का नाम-मात्र ही प्रयोग हो रहा है। समय-समय पर हिंदी के प्रभाव एवं प्रयोग में वृद्धि करने के लिए बैंकों में कई आदेश जारी किए जाते हैं लेकिन अंग्रेज़ी में कार्य करने के अभ्यस्त कर्मचारियों द्वारा हिंदी की उपयोगिता की अवहेलना की जाती रही है। हिंदी का प्रयोग बैंकों की कार्य-प्रणाली में अभी तक उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है जैसा कि अपेक्षा की जाती रही है। इसके कुछ कारण हैं जैसे अधिकांश बैंक कर्मिक पुरानी नियुक्ति होने के कारण अंग्रेज़ी भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि बैंकों से संबंधित हिंदी शब्दावली का चलन बाद में हुआ और बैंकों के कर्मचारी अंग्रेज़ी में कार्य करने के अभ्यस्त होने के कारण हिंदी में कार्य करने में कठिनाईयों का अनुभव करते हैं तथा इसके साथ-साथ कुछ कर्मचारी अंग्रेज़ी में कार्य करने में गर्व महसूस करते हैं और साथ ही साथ हिंदी में कार्य करने वालों की आलोचना भी करते रहते हैं जिससे उन कर्मचारियों में अपनी भाषा के प्रति हीनभावना जागृत हो जाती है जोकि नहीं होनी चाहिए।

प्रायः यह देखा गया है कि बैंकों के कर्मचारी हिंदी में कार्य करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। यदि सही अर्थों में इस झिझक को दूर करना है तो इसका सरल उपाय यह है कि जब कभी हिंदी का प्रयोग करने पर या किसी से पत्राचार करने पर किसी अंग्रेज़ी शब्द का हिंदी में शब्द ज्ञात नहीं हो पा रहा हो तो उस शब्द को देवनागरी लिपि में जस का तस लिख देना चाहिए। हमें पत्राचार करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि उक्त पत्र की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए जिससे पत्र लिखने वाले का आशय उस पत्र को पढ़ने वाला सही प्रकार से समझ सके। ऐसी कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जो हिंदी के लिए अभिशाप बन कर खड़ी हो गई हैं।

व्यवसायिक दृष्टि से भी हिंदी भाषा अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ हिंदी भाषा के प्रयोग के बिना कोई व्यापार होता हो। इसमें कोई शक् नहीं कि बैंकों में हिंदी का चलन पहले से अधिक हो गया है फिर भी नव-नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि हिंदी में कार्य करते समय बिल्कुल भी हिचकिचाहट न महसूस करें। यद्यपि न्यायिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा बैंकों से संबंधित शब्दकोश बन चुके हैं और अत्यधिक प्रचलित भी हो चुके हैं तो आपको उनकी सहायता लेनी चाहिए। फिर भी यदि अंग्रेज़ी के किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिख देना चाहिए। बैंकों में हिंदी की उपयोगिता की निरंतर बढ़ोत्तरी हेतु अनुवादित हिंदी के स्थान पर मूलतः साधारण आम बोलचाल की हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को जन-जन तक पहुँचा सकता है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए और प्रण करना चाहिए कि हम सभी अपने-अपने बैंकों में हिंदी में अधिकाधिक कार्य कर, इसकी उपयोगिता को सिद्ध करेंगे।

सितंबर माह के आरंभ होते ही बैंक के हिंदी अधिकारियों के सिर पर ''हिंदी दिवस'', ''हिंदी पखवाड़ा'' तथा ''हिंदी माह'' का आयोजन करने की चिंता सवार हो जाती है। हिंदी दिवस की औपचारिकताओं को ध्यान में रखते हुए, अंग्रेज़ी में लिखी गई टिप्पणियों, प्रारूपों आदि पर आपत्ति की जाने लगती है। इन दिनों में हमें यह महसूस होने लगता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। प्रायः यह देखा गया है कि शाखाओं से त्रैमासिक रिपोर्टों को जब संबंधित कार्यालयों में भेजा जाता है तब उसकी सत्यता का प्रमाणीकरण भौतिक रूप से नहीं किया जाता है और उन्हीं रिपोर्टों को सत्य मानकर यह अनुमान लगा लिया जाता है कि संबंधित शाखाओं के हिंदी कार्य में निरंतर वृद्धि हो रही है लेकिन इतना करने मात्र से राजभाषा अधिकारियों का दायित्व पूर्ण नहीं हो जाता है। यदि वास्तविकता में अधिकारियों/कर्मचारियों में हिंदी के प्रति झिझक दूर करनी है तो पूरे वर्ष राजभाषा अधिकारियों द्वारा शाखाओं में अलग-अलग कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए तथा नियमित रूप से संबंधित शाखाओं से जुड़कर अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी के प्रयोग करने में जो कठिनाईयाँ आती है, उनका निवारण करना चाहिए और जो अधिकारी/कर्मचारी हिंदी का अपने कार्यों में अधिक प्रयोग करें, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए।

सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ बैंकों में हिंदी का प्रगामी प्रयोग एवं महत्व निरंतर बढ़ रहा है। समय-समय पर हिंदी की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं तथा अंग्रेज़ी में अभ्यस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। यह प्रक्रिया अविरल गति से तब तक चलती रहेगी जब तक अंग्रेज़ी में अभ्यस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी का महत्व समझ में न आ जाए।

स्वतंत्रता के 67 वर्ष के अंतराल में हमने लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाई है और ऐसी स्थिति में राजभाषा के महत्व की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और यदि बैंकों में हिंदी के प्रयोग में किसी प्रकार की अड़चनें आती है तो उन्हें तुरंत दूर करना चाहिए। इस अवसर पर हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने चाहिएं। यदि स्पष्टता के आधार पर देखा जाए कि हिंदी एक अक्षम भाषा है परंतु ऐसा कदापि नहीं है। यह अक्षमता हिंदी भाषा की नहीं है अपितु इसके प्रयोग करने वालों की अक्षमता है। जहाँ तक अंग्रेज़ी का हिंदी से तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का साम्राज्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वह दिन दूर नहीं जब हिंदी भाषा का जादू बैंकों एंव अन्य प्रतिष्ठानों के सिर पर चढ़कर बोलेगा। अंग्रेज़ी भाषा का प्रचलन इस मुहावरे में निहित हो गया है कि ''आडम्बर अधिक तत्व कम''। बैंकों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की धारणा बदलती जा रही है और हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने का प्रयत्न कर, हिंदी भाषा को अधिक प्रभावी बना रहे हैं। आशा है कि यदि यह प्रयत्न इसी प्रकार चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदी का वर्चस्व स्वयं में परिलक्षित होने लगेगा।

जब हिंदी का एकछत्र राज होगा तो आने वाले समय में स्वयं ही पता चल जाएगा कि हिंदी भाषा देश में फल-फूल रही है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों और बीमा कंपनियों में कामकाज हिंदी भाषा का प्रयोग पहले से अधिक होने लगा है। विभिन्न उक्त कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियाँ लगातार की जा रही हैं। उनका यह कर्तव्य बनता है कि बैंकों आदि में हिंदी में कार्य करने में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका निवारण त्वरित गति से किया जाए। इसके साथ-साथ हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित करना भी संस्थाओं का दायित्व है। यदि अंग्रेज़ी का वर्चस्व बिल्कुल समाप्त करना है तो अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने की पहल करनी होगी।

प्रायः देखने में आता है कि बैंकों एंव अन्य संस्थाओं में अंग्रेज़ी भाषा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। अंग्रेज़ी का प्रयोग करना ग़लत नहीं हैं लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके कारण हिंदी का महत्त्व कम न हो।

अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारा गौरव है और हमारे देश की पहचान है। हिंदी भक्ति, प्रेम एवं सद्भावना की भाषा है और राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। यदि हम इसी प्रकार बैंकों में इसके प्रचार-प्रसार में प्रयासरत रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदी भाषा का बैंकों में वर्चस्व कायम होगा और अन्य भाषाओं की सिरमौर बन कर राज करेगी।

- आंचलिक कार्यालय, देहरादून

(भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नराकास के तत्वावधान में पुरस्कृत लेख।)

सचु वापारू करहु वापारी

- डॉ. चरनजीत सिंह

कहते हैं कि इंसान का जीवन दुर्लभ है। लाखों योनियों व जन्मों जन्मान्तरों के फेर के बाद इंसान को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य के जीवन में सुख-दुख, बुरा-भला, पाप-पुण्य, सच-झूठ जैसे विरोधाभास सदा बने रहते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग कर अच्छे-बुरे का निर्णय करता है। यदि वो अपने सदकर्मों के अनुरूप निर्णय लेता है तो उसका जीवन सरल, सुखद व शांति से भरा रहता है और यदि वे जाने-अनजाने या फिर जान-बूझ कर बुरे कर्मों के अनुरूप निर्णय लेता है तो उसके जीवन में दुख, निराशा, कुंठा व विषाद भरने लगता है - जीवन से सकारात्मकता समाप्त होने लगती है। मनुष्य लालचवश मिथ्या, लोभ, कपट, पाखंड व भ्रष्टाचार जैसी नकारात्मक रूचियों की तरफ अग्रसर होने लगता है।

हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों, धर्म-गुरूओं, संतों, महापुरुषों व उपदेशकों ने हमें सदकर्मों पर चलने की शिक्षा दी है तथा मनुष्य का जीवन-राह सत्य, सच्चाई, सफ़ाई व पवित्रता पर टिका रहे - इस तरह का उपदेश दिया है। श्री गुरू ग्रंथ साहिब में भी मनुष्य को अच्छे कर्म करने तथा जीवन में सदाचार को उच्च स्थान दिए जाने पर बल दिया गया है।

सिख धर्म में मूलतः तीन सिद्धान्त हैं - प्रभु सुमिरन, मिल बाँट कर खाना व धर्म की कमाई करना। जहाँ प्रभु सुमिरन से मानव का हृदय शुद्ध होता है तथा जीवन में संयम व सहजता जैसे भाव जागृत होते हैं। मिल-बाँट कर खाने से जहाँ मन को तृप्ति मिलती है वहीं किरत-कमाई से कमाई में बरकत तो आती ही है, साथ ही इस विचार की पुष्टि भी होती है कि कमाई में किसी से धोखे से लिया गया धन तो सम्मिलित नहीं हो गया। किसी का चोरी, रिश्वत या लालचवश हक़ तो नहीं मार रहे।

श्री गुरू नानक देव जी के समय सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक स्तर पर गिरावट में आ चुकी थी। समाज में फैली कुरीतियों, धार्मिक आडम्बरों, पाखंडों से आम आदमी का जीवन त्रस्त था। धर्म-गुरुओं, पंडितों, मौलवियों ने धर्म के नाम पर दुकानें खोल रखी थीं, तथा आम व्यक्ति इनके फैलाए धर्म-जाल में फंसा स्वयं को असहाय व निरुपाय पाता था।

श्री गुरू नानक देव जी ने एमनाबाद जाकर मलक भागो के खीर व पूड़े त्याग कर भाई लालो के घर की रूखी-सूखी रोटी खाकर प्रमाणित कर दिखाया कि जिस कमाई में ग़रीबों की हाय लगी हो, जिस कमाई में रिश्वत या भ्रष्टाचार का अंश शामिल हो वह खाने योग्य नहीं -

''हक पराया नानका उस सूअर उस गाय।
गुरू पीर हामा ता भरे जां मुरदार न खाय''

गुरू जी ने सजण ठग जैसे व्यक्ति को भी नेक कमाई कर सरल भाव से जीवन जीने का राह बताया था। इसी तरह भूमिया चोर को भी गुरू जी ने उपदेश देकर धर्म की कमाई करने और चोरी, हेरा-फेरी, रिश्वत-खोरी की राह से हट जाने का संदेश दिया था। भूमिया चोर ने जब राजा के घर पर चोरी की, सब माल-असबाब बांधकर चलने को हुआ तो एकाएक उसने वहाँ थोड़ा सा नमक चख लिया। नमक मुँह में आते ही उसके मन में नमक हराम न बनने का विचार आया और उसने बंधा-बंधाया माल वहीं छोड़ दिया।

उपरोक्त का भाव यही है कि हम आज अपनी जीवन पर दृष्टि डाल कर देखें कि हम जिसका नमक खा रहे हैं, कहीं उसके साथ धोखाधड़ी, बेईमानी, हेरा-फेरी या लापरवाही तो नहीं कर रहे। हम अपनी कमाई में अपने और अपने परिवार वालों के लिए कोई ऐसा अंश तो शामिल नहीं कर रहे जिसका हमें हर्जाना भुगतना पड़े। श्री गुरू नानक देव जी का वचन है :

''वणज करहु वणजारिहो वखरु लेहु समालि।
ऐसा वसतु विसाहिऐ, जैसी निबहै नालि।''

- प्र.का. राजभाषा विभाग
नई दिल्ली

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.)

एस. पी. एस. कलसी

हम सब जानते हैं कि आजकल मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा सुर्खियों में है। एक बैंकर होने के नाते हमें मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात "काला-धन" के बारे में गहन जानकारी होनी चाहिए। कोबरा पोस्ट ने हाल ही में स्टिंग-ऑपरेशन के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया है। कोबरा-पोस्ट ने स्टिंग-ऑपरेशन के ज़रिए विभिन्न बैंकों में काले धन को सफ़ेद एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने का राज़ उजागर किया है। इस संबंध में देश के 23 बैंकों व इंश्योरेंस कंपनियों पर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद वित्त-मंत्रालय द्वारा बैंकों को पुराने लेन-देन की जांच करने के निर्देश दिए गए। भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बीमा नियामक-इरडा (IRDA) से बीमा कंपनियों पर कार्रवाई करने को कहा है। जांच करने के बाद, हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने दोषी पाए गए विभिन्न बैंकों पर जुर्माना लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में किसी प्रकार की कोताही न हो, इस संबंध में कर्मचारियों को जानकारी होना अनिवार्य है। ग्राहक सेवा में पहला कदम बैंक के साथ खाता खोलने के माध्यम से एक रिश्ते की शुरूआत करने वाले इच्छुक ग्राहकों के साथ बातचीत करना होता है। बैंक 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) मानदंड अपनाकर यह कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से अवैध धन या बेनामी व्यक्तियों अथवा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खाते न खोले जाएं। यदि कोई ग्राहक अपने कारोबार अथवा अपनी आय के स्रोतों के संबंध में जानकारी देने में आनाकानी करता है तो भी इस प्रकार के मामले में संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। 'अपने ग्राहक को जानिए' खाता खुलने के साथ ही प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया है जो खाता खुलने के बाद समाप्त नहीं होती बल्कि यह सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। 'अपने ग्राहक को जानिए' के संबंध में परिचालनात्मक दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :-

1. ग्राहक की वास्तविक पहचान स्थापित करना।
2. संदिग्ध प्रवृत्ति के लेन-देन पर निगरानी रखना।
3. जोख़िम प्रबंधन और निगरानी प्रक्रियाओं पर ध्यान देना।
4. संदिग्ध प्रवृत्ति के लेन-देन की पहचान करना व उनकी रिपोर्टिंग करना।
5. स्टाफ़ व प्रबंधन वर्ग को प्रशिक्षित करना।
6. ग्राहकों को शिक्षित करना।
7. मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित दस्तावेज़ों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना।

के.वाई.सी. पॉलिसी का उद्देश्य :

- धनशोधन गतिविधियों के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा जानबूझ कर या अनजाने में शाखाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करने से रोकना।
- ग्राहकों और उनके वित्तीय व्यवहार को जानना ताकि जोख़िम का प्रबंधन विवेकपूर्ण ढंग से किया जा सके।

पॉलिसी के प्रमुख तत्व :

- ग्राहक स्वीकृति पॉलिसी
- ग्राहक पहचान प्रक्रिया
- लेन-देन की निगरानी
- जोख़िम प्रबंधन

धनशोधन निवारण अधिनियम 2002-नियम 9 :

(ग्राहक की पहचान के रिकॉर्ड का सत्यापन):

- प्रत्येक बैंक खाता खोलने या इसके साथ किसी भी लेन-देन को क्रियान्वित करते समय ग्राहक की पहचान, वर्तमान पते सहित स्थाई पता, ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति तथा वित्तीय स्थिति का सत्यापन करेगा और इसका उचित रिकॉर्ड रखेगा।
- यदि खाता खोलते समय ग्राहक की पहचान सत्यापित करना संभव न हो तो बैंकिंग कंपनी खाता खोले जाने के उपरांत अथवा लेन-देन निष्पादित करने के बाद, एक निश्चित समय के भीतर ग्राहक की पहचान सत्यापित करेगी।

धनशोधन निवारण अधिनियम 2002-नियम 3

(लेन-देन के रिकॉर्ड का रख-रखाव)

- 10 लाख रु. से अधिक राशि या इसके सम-मूल्य की विदेशी मुद्रा के सभी नकद लेन-देन।

नकद लेन-देन की समस्त श्रृंखला जो एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी है और जिनका मूल्य कुल मिलाकर 10 लाख रु. से कम है लेकिन ऐसे सभी लेन-देन एक माह के भीतर श्रेणीबद्ध हुए हों।

सभी नकद लेन-देन जहाँ जाली अथवा नकली नोटों का इस्तेमाल, असली नोटों के रूप में किया गया है और जहाँ किसी मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाज़ी हुई है।

नियम 6 (रिकॉर्ड को बनाए रखना), ग्राहक और बैंकिंग कंपनी के बीच हुए लेन-देन की समाप्ति की तारीख़ से 10 वर्षों की अवधि तक रिकॉर्ड को रखा जाएगा।

कों का जोख़िम प्रोफ़ाइल

लेन-देन/व्यवसाय के आधार पर सभी ग्राहकों को 'कम', 'मध्यम' या 'उच्च' जोख़िम की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए।

प्रत्येक छमाही में जोख़िम प्रोफ़ाइल की समीक्षा की जाए।

जोख़िम प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर ग्राहकों से पहचान संबंधी दस्तावेज़ (जिसमें पते के सबूत भी शामिल हों) लिए जाएं जैसे कि कम जोख़िम श्रेणी वाले ग्राहकों से पाँच वर्ष में एक बार तथा मध्यम व उच्च जोख़िम वाले ग्राहकों से दो वर्षों में एक बार लिए जाएं।

ग्राहकों की विशिष्ट पहचान (Unique Identity) होनी चाहिए जैसे कि सीबीएस सिस्टम के अंतर्गत प्रत्येक बैंक में एक ग्राहक की एक ही पहचान (Customer ID) होनी चाहिए। एक ग्राहक के लिए बहुविध कस्टमर आई.डी. (Multiple Customer ID) नहीं होनी चाहिए।

ोधन निवारण अधिनियम 2002

धनशोधन का अपराध।

धारा 3 - जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करे या जानबूझ कर सहायता करे या जानबूझ कर पार्टी हो या किसी भी प्रक्रिया में वास्तविक रूप से शामिल हो या आपराधिक रूप से प्राप्त धन के साथ वास्तव में जुड़ा हो और उस धन को बेदाग़ धन के रूप में बता रहा हो, वह व्यक्ति धनशोधन के अपराध का दोषी होगा।

दण्डनीय अपराध।

ऐसा संदेह अथवा जानकारी होने पर कि ग्राहक काले धन को वैध धन में परिवर्तित करने में लीन है तो उस स्थिति में शाखाएं फ्लैश रिपोर्ट भेजेंगी।

संदेह होने का उचित आधार

- व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण की अपेक्षा में संदेह का वस्तुनिष्ठ परीक्षण।
- जान-बूझ कर अनदेखी करना अर्थात् आँखें मूंद लेना या लापरवाही करना जैसे कि जान-बूझ कर या असावधानी पूर्वक उस प्रकार की पूछताछ न कर पाना, जो एक ईमानदार व्यक्ति से आम परिस्थितियों में अपेक्षा की जाती है अथवा पर्याप्त तथ्य और जानकारी जो कि प्रस्तुत या उपलब्ध हो, का आकलन करने में नाकाम रहना तथा जिसकी पूछताछ एक ईमानदार व्यक्ति से की जा सकती है।

रिपोर्टिंग प्रणाली

- एफआईयू - वित्तीय आसूचना इकाई-इंडिया की स्थापना भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय एजेंसी के रूप में की गई है और इसे संदेहास्पद वित्तीय लेन-देन संबंधी जानकारी प्राप्त करने, उसका विश्लेषण, प्रसारण और संसाधित करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो सीधे **आर्थिक आसूचना परिषद्** को रिपोर्टिंग करती है, जिसका नेतृत्व वित्त-मंत्री करते हैं।

सीटीआर की रिपोर्टिंग

सीटीआर रिपोर्टिंग सीबीएस सिस्टम जेनरेटिड होती है।

- शाखाएं प्रत्येक माह की 4 तारीख़ तक आंचलिक कार्यालय को सीटीआर की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
- आंचलिक कार्यालय यह रिपोर्ट प्रत्येक माह की 8 तारीख तक प्रस्तुत करेंगे।
- सीटीआर का फॉर्मेट, निरीक्षण विभाग का दिनांक 7.3.2006 का परिपत्र सं. 175
- विलंब से प्रस्तुत करने पर कम से कम 10,000/- और अधिकतम 1 लाख रु. का जुर्माना हो सकता है।

एसटीआर की रिपोर्टिंग

एसटीआर की रिपोर्टिंग, संदेहास्पद लेन-देन के आधार पर बैंक के अधिकारी जेनरेट करेंगे।

- संदेहास्पद प्रवृत्ति की कोई भी प्रविष्टि तुरंत सूचित की जाए।
- यदि संदेहास्पद प्रवृत्ति की कोई भी प्रविष्टि न हो तो सीटीआर की मासिक रिपोर्ट के साथ, इसकी मासिक रिपोर्ट 'शून्य' भेजें।

- संदेह की श्रेणी तथा उदाहरण निम्नानुसार है :-

संदेह की श्रेणी	एफआईयू-इंड (FIU-IND) की रिपोर्ट किए जाने वाले संदेहास्पद लेन-देन के उदाहरण
ग्राहक की पहचान	• पहचान संबंधी दस्तोवज़ जाली पाए गए। • खाताधारक द्वारा दिया गया पता गलत पाया गया। • खाते के वास्तविक लाभार्थी के संबंध में संदेह होने पर।
संदेहास्पद पृष्ठभूमि	• सार्वजनिक रूप से ज्ञात अपराधियों के खाते। • इंटरपोल वॉच लिस्ट में दिए व्यक्ति के साथ नाम तथा जन्म-तिथि वास्तविक रूप से मिलता हो।
बहुविध खाते (Multiple Account)	• ऐसे संदेहास्पद खाते जिनमें खाताधारक, परिचयकर्ता या प्राधिकृतहस्ताक्षरकर्ता समान हो, जिनका कोई तर्काधार न हो।
खातों में गतिविधियाँ	• निष्क्रिय खातों में। • ग्राहक द्वारा पोषित व्यवसाय के अनुरूप खाते में अस्पष्ट गतिविधियाँ।
लेन-देन का स्वरूप	• निधियों के संदिग्ध स्रोत। • संदिग्ध विदेशी निधि-अंतरण। • ग़ैर-रिश्तेदारों को संदेहास्पद विदेशी धन-प्रेषण। • बैंक खाते में विभिन्न स्थानों पर नकदी का जमा होना। • एटीएम/क्रेडिट कार्ड का संदेहजनक रूप में इस्तेमाल होना। • ऋण-खाते में नकदी जमा कर, खाते का समय-पूर्व संदेहजनक ढंग से बंद होना। • डीमेट खाते में संदेहास्पद मार्किट लेन-देन।
लेन-देन का मूल्य	• ग्राहक की वित्तीय स्थिति के अनुरूप भारी मूल्य के अस्पष्ट लेन-देन।

- प्रधानाचार्य, सीबीआरटी, चण्डीगढ़

प्रियदर्शनी आवास-ऋण योजना

मुख्य महाप्रबंधक श्री जी. एस. सचदेवा का अभिनंदन करते हुए आंचलिक प्रबंधक, हरियाणा श्री वाई. के. वर्मा।

बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री जी. एस. सचदेवा आंचलिक कार्यालय हरियाणा के अधीन समस्त शाखा प्रबंधकों को बैंक की 'प्रियदर्शनी आवास-ऋण योजना' की जानकारी देते हुए। इसी दौरान उन्होंने 'स्पेशल कैंप' के तहत प्रत्येक घर में एक खाता खोलने तथा प्रत्येक शाखा पर एक एटीएम खोलने पर भी ज़ोर दिया।

हमारे मुख्य महाप्रबंधक

भावभीनी विदाई

श्री जी. एस. बिन्द्रा दिनांक 30 नवम्बर, 2013 को बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के पद से सेवा-निवृत्त हुए। श्री बिन्द्रा जी दिनांक 20 दिसम्बर, 1973 को बैंक में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्होंने एम.एस.सी. एवं एल.एल.बी. की परीक्षा के साथ सी.ए.आई.आई.बी. की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। अपने 40 वर्षों के एक लंबे कार्यकाल में उन्होंने बैंक के विभिन्न शाखा कार्यालयों एवं आंचलिक कार्यालयों में कार्य करते हुए बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दीं। उन्हें बैंकिंग का एक लंबा अनुभव था। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने बैंक के विभिन्न विभागों जैसे - लेखा एवं लेखा परीक्षा, समायोजन विभाग, मार्केटिंग एवं इंश्योरेंस विभाग, अग्रिम विभाग, अग्रिम (एनपीए) आदि अनेक क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाएं दी। श्री बिन्द्रा जी का बैंक कार्मिकों के प्रति व्यवहार अत्यंत कोमल, सहयोगी एवं विनम्र रहा। पी.एस.बी. परिवार, बैंक के लिए उनके इस अमूल्य योगदान को सदैव स्मरण करेगा। पी.एस. बी. परिवार आपके एवं आपके परिवार के उज्ज्वल एवं सुखद भविष्य की कामना करता है।

सुस्वागतम्

श्री जी. एस. सचदेवा ने दिनांक 1 दिसंबर, 2013 से बैंक के मुख्य महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. की परीक्षा के साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से 'विधि' विषय में स्नातक सहित 'अर्थशास्त्र' विषय में स्नातकोत्तर किया है। इन्होंने 'पर्सनल मैनेज़मेंट एण्ड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप' में डिप्लोमा भी किया है। बीते समय में इन्हें बैंकिंग में विभिन्न पदों पर - शाखा प्रबंधक तथा आंचलिक कार्यालय देहरादून एवं चैन्नई के आँचलिक प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए 37 वर्ष का गहन अनुभव है। बैंकिंग में इन्होंने अपने 35 साल से भी ज़्यादा के एक बड़े अनुभव के दौरान मुख्य अनुपालन अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए मानव संसाधन विकास विभाग, क्रेडिट मॉनिटरिंग, सामान्य प्रशासन एवं अनुपालन परिचालन का कार्यभार भी सफ़लतापूर्वक संभाला है। वर्तमान में श्री सचदेवा जी प्रधान कार्यालय के अग्रिम विभाग तथा विधि एवं वसूली विभाग के प्रभारी है। पी.एस. बी. परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है।

गतिविधियाँ

अवध कॉलेज लखनऊ में 'शिक्षक दिवस' के आयोजन पर श्री हर्षबीर सिंह महाप्रबंधक, प्राथमिकता क्षेत्र का स्वागत करते हुए कॉलेज की एक प्राध्यापिका। साथ में है श्री जी. एस. नारंग, आंचलिक प्रबंधक, आंचलिक कार्यालय लखनऊ एवं कॉलेज प्राध्यापकगण। श्री हर्षबीर सिंह ने इस अवसर पर प्राध्यापकों हेतु बैंक की ऋण योजनाओं की जानकारी दी।

बैंक द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों के अंतर्गत कलगीधर अकाल ट्रस्ट, अकाल एकेडेमी, चुन्नी कलां में 600 ली./घंटा की क्षमता वाले जल शोधक संयंत्र के उद्घाटन समारोह में बैंक द्वारा किए जा रहे पुनीत कार्य की प्रशंसा करते श्री टी. पी. एस. सिद्धु (आईएएस) डिप्टी कमिश्नर, मोहाली। साथ में एल.एच.ओ. चण्डीगढ के महाप्रबंधक एवं अन्य अधिकारीगण।

शाखा जोशीमठ में ग्राहक संगोष्ठी आयोजन के दौरान बैंक के सम्मानित ग्राहकों के साथ आंचलिक प्रबंधक श्री हरमिन्द्र सिंह।

कम्प्यूटर पर यूनिकोड प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में स्टाफ़-सदस्यों का मार्गदर्शन करते हुए स्थानीय प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक श्री इक़बाल सिंह भाटिया एवं अन्य उच्चाधिकारीगण।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अहिंदी भाषा-भाषियों को हिंदी सेवा हेतु दिए जाने वाले सम्मान के अंतर्गत सिंधी भाषियों में हिंदी सेवा के लिए आंचलिक कार्यालय भोपाल में पदस्थ श्री अशोक कुमार खटवानी को सम्मानित करते माननीय राज्यपाल 'श्री रामनरेश यादव' (म.प्र.)।

चेन्नै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक/वि सं)

Chennai Town Official Language Implementation Committee (Banks / FIs)

प्रशस्ति – पत्र

MERIT CERTIFICATE

... for the commendable work done in the Implementation of Govt. of India's Official Language Policy in Chennai Town during the year ...

वर्ष 2013-13 के दौरान चेन्नै में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सराहनीय कार्य हेतु 'चेन्नै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक/वि.सं.) की ओर से 'पंजाब एण्ड सिंध बैंक - समूह-2' को प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त प्रशस्ति-पत्र।

सावधानी हटी, दुर्घटना घटी

इन्दरपाल कौर

आज अक्सर हर व्यक्ति भ्रष्टाचार 'शब्द' से भली-भांति परिचित है। जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है - आचरण का भ्रष्ट होना ही ''भ्रष्टाचार'' कहलाता है। हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार कब, क्यों और किसलिए किया जाता है?तथापि इससे संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर बात करना अनिवार्य है। अगर देश की साधारण जनता से पूछा जाए कि भ्रष्टाचार क्या होता है तो यह सुनने को मिलेगा कि व्यक्ति अपने अनुचित लाभ हेतु अपनी हैसियत या फिर अपनी कार्यालयीन प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है या ग़ैर-कानूनी रूप से धन कमाता है। इस प्रकार से कमाए गए धन की प्रक्रिया को सामान्यतः भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है।

वस्तुतः आजकल समाज में कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हो रही है जिनका मूल कारण भ्रष्टाचार होता है। यह समाज के सामने चुनौती भरा मुद्दा है। इसे किस प्रकार से रोका जाए, यह हम सब देशवासियों का कर्तव्य बनता है। हमें यह सोचना होगा कि क्या हम अपने इस कर्तव्य के प्रति सजग अथवा सचेत हैं या इसे निभा पाने में सक्षम हैं। यदि हम सोच लेंगे तो इस ओर अवश्य कुछ न कुछ ध्यान दे पाएंगे क्योंकि :

''यदि मान लें तो हार, ठान लें तो जीत हैं।''

अतः हमें भ्रष्टाचार को समझने की आवश्यकता है ताकि इस सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगा सकें क्योंकि इसका विस्तार दिन-प्रतिदिन तेज़ रफ़्तार से हो रहा है। फ़िलहाल हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ व्यकित के नैतिक मूल्य कहीं गुम होते जा रहे हैं। आचरण का प्रतिनिधित्व हमेशा नैतिकता ही करती है। व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी वस्तु पैसा ही रह गया है। पारिवारिक मूल्य घटते नज़र आ रहे हैं। कदरें व कीमतें कम हो रही है। धन पाने की होड़ में उसका व्यक्तित्व, शोहरत व अन्य सभी संबंध धूमिल होते नज़र आ रहे हैं। वह अनुचित रूप से धन कमाने के लालच में किसी की परवाह नहीं करता, उसका तो एक ही मंतव्य होता है :

''बाप बड़ा न भइया, भइया, सबसे बड़ा रुपइया।''

भले ही व्यक्ति धोखाधड़ी या हेरा-फेरी से धन-दौलत तो कमा लेता है लेकिन इस प्रकार से कमाए गए धन के पीछे ज़ोख़िम या भय बना रहता है। इसकी जानकारी होते हुए भी अनदेखी करता है परंतु यह कटु सत्य है कि सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती। व्यक्ति यह नहीं समझता कि छोटी सी भूल उसके लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार की महामारी फैली हुई है और बैंक भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। इस महामारी को रोकने हेतु भारत सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं और भ्रष्टाचार उन्मूलन की ज़िम्मेदारी ली है जैसे कि विभिन्न स्तरों पर सतर्कता विभाग स्थापित किए हैं और इससे संबंधित अधिकारियों को विभिन्न प्रकार की शक्तियां दी हैं ताकि वे संबंधित कार्यालयों में धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार के मामलों को अपने स्तर पर निपटा सकें।

यह सदैव समझा जाता रहा है कि व्यक्ति को भ्रष्ट करने में 'शक्ति' का भरपूर योगदान होता है और असीम शक्ति किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से भ्रष्ट बना देती है।

प्रायः यह भी देखने में आता है कि जब किसी व्यक्ति पर कोई रोक या

अंकुश न हो तो उसके भ्रष्ट होने की उम्मीद कुछ अधिक हो जाती है। शक्ति के अतिरिक्त लालच और जलन या ईर्ष्या भी भ्रष्टाचार की जननी है।

जहाँ तक बैंकों का संबंध है, इनमें भी भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं। बैंकों के कार्यों में जमा-राशियाँ स्वीकार करना, ऋण देना, वसूली करना व प्रशासन संबंधी अन्य व्यय वसूली हैं। किस प्रकार से बैंक में कार्य करते हुए, भ्रष्टाचार को पनपने से रोका जाए, यह एक विचारणीय मुद्दा है। हमें सदैव बैंक में सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए क्योंकि बैंकों में जब सावधानी को नज़र अंदाज़ किया जाता है, तो दुर्घटना का होना निश्चित है। अंतः हम यह कह सकते हैं कि

सावधानी हटी - दुर्घटना घटी

यदि हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें तो बैंक में भ्रष्टाचार रूपी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं

1. सरकारी मशीनरी बेहतर होनी चाहिए जिसकी लागत कम हो, जो काम करने में भी दक्ष हो और जो सुरक्षा के उच्चतम मानकों पर ख़री उतरती हो।
2. सरकारी/बैंक अधिकारी प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल सौंपे गए कार्यों से इतर न करें।
3. अपने निजी/पारिवारिक फ़ायदे के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें।
4. सरकारी पैसे का उपयोग सरकारी कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए न किया जाए। कार्यालयीन स्थिति का अनुचित रूप से प्रयोग न किया जाए।
5. ग्राहकों अथवा ओहदेदार व्यक्तियों से किसी प्रकार का अनुचित लाभ न लें।
6. हर चीज़ "ब्लैक एण्ड वाईट" में रखें। जब यह कार्य शुरू होगा तो भ्रष्टाचार को उभरने का मौक़ा नहीं मिलेगा।
7. खोज़ी बनें, समर्पण न करें। मामले की सत्यता जाने बगैर निर्णय देना उचित नहीं होता।
8. मैनेजर-मैनेजी रिलेशनशिप पर ध्यान दें। यह संबंध गाईड की तरह होना चाहिए न कि एक बॉस की तरह।
9. सरकारी वाहनों का उपयोग सरकारी कार्य करने के लिए ही करें।

यदि हम इनका उपयोग अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए करेंगे तो निश्चित है कि कहीं न कहीं सरकारी कार्य प्रभावित होंगे और सरकारी धन का भी अपव्यय होगा।

10. बैंक के समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपनी मनोस्थिति सही रखें। इससे कार्य को सही ढंग से करने में बहुत सहायता मिलती है। कार्य को सचेत और जागरुक हो कर करेंगे तो इसके परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होंगे।
11. सदैव निष्पक्ष होकर बैंक के कार्य करें। पक्षपात करने के चक्कर में ही हम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में त्रुटि कर बैठते हैं। ध्यान रहे कि किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में न रखते हुए, मामले को ध्यान में रखते हुए निरपेक्ष भाव से निर्णय लें।
12. व्यक्ति का चरित्र - निर्माण बहुत अहम भूमिका निभाता है। यदि आपका चरित्र सही है तो आपके व्यक्तित्व से पता लग जाता है। चरित्रवान व्यक्ति हमेशा सही कार्य करते हैं। आपका व्यवहार ही आपके चरित्र का आईना होता है। यह अक्सर कहा जाता है कि

"धन गया तो कुछ नहीं गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया।।"

13. भ्रष्टाचार को रोकने में बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों की ईमानदारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। बैंक कर्मियों को अपना कार्यालयीन कार्य पूरी कर्मठता, कर्तव्य निष्ठा, लगन, ईमानदारी तथा संस्था के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी की स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए।
14. बैंक की ऑपरेटिंग प्रणाली की समय-समय पर निगरानी और समीक्षा की जाए ताकि कमियों का पता चल सके और उनका निवारण किया जा सके।

- सी.बी.आर.टी., चंडीगढ़

वित्तीय-समावेशन और वित्तीय साक्षरता

कुलदीप सिंह खुराना

"वित्तीय-समावेशन केवल एक प्रक्रिया ही नहीं है बल्कि बैंकों का एक मिशन है ताकि जन-साधारण के वंचित तथा अयोग्य खंडों को सशक्त किया जा सके तथा बैंकों का प्रयास है कि इन लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़े और इन्हें समाज की उत्पादक आस्ति बनाएँ।"

आम मनुष्य को वित्तीय आवश्यकताओं के प्रति सचेत करने एवं वित्तीय सुविधाविहीन लोगों को बैंकिंग अथवा वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के कुशल प्रयासों को साकार करने के लिए अलग-अलग मॉडल को अपनाया जाने लगा है। वित्तीय समावेशन का यह प्रयास है कि वित्तीय सुविधाविहीन लोगों को न केवल वित्तीय सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके बल्कि उन लोगों को वित्तीय या बैंकिंग के प्रति जागरुक भी बनाया जा सके।

भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। भारत की संपूर्ण जनसंख्या की आधे से भी अधिक आबादी की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। ग्रामीण जनता के इस जीविकोपार्जन के साधनों का निरंतर अस्तित्व बनाये रखने के लिए व्यापक चुनौतियाँ हैं इसका सर्वप्रमुख कारण कृषि क्षेत्रों में व्याप्त विभिन्न प्रकार के ज़ोख़िम हैं। किसान सदियों से आम जनता से लेकर सत्तासीन लोगों तक के पेट-पालक के रूप में सम्माननीय रहे हैं। व्यवहारिक रूप से उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर है। आज खाद्य सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की भयावह तस्वीरें पेश की जा रही है। खाद्य संकट के प्रति हम गंभीरता से सोच रहे हैं, साथ ही इसके उत्पादक के प्रति हमारी नीतियाँ संतोषजनक नहीं हैं। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं निर्धारित की हैं, जिससे किसानों को राहत मिली है। किसानों के सामने उनकी वित्त-व्यवस्था की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है जिसके लिए वित्तीय समावेशन के अंतर्गत इस चुनौती का हल निहित है। 2008 में वित्तीय-समावेशन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन ने वित्तीय-समावेशन को परिभाषित करते हुए कहा था कि "कम आय व कमज़ोर वर्गों के लिए ऋण व वित्तीय सेवाओं तक सुगमतापूर्वक पहुँच ही वित्तीय-समावेशन है।" इस प्रकार हम वित्तीय-समावेशन को सही तरीके से यदि ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करते हैं, तभी ग्रामीण-ऋण की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर पायेंगे। यह वास्तविकता है कि किसान ऊँची ब्याज-दरों पर साहूकारों से ऋण प्राप्त करते हैं। इसके विकल्प के रूप में सरकार ने किसानों को अल्पकालीन सुविधापूर्ण ऋण प्रदान करने के लिए 1998 में 'किसान क्रेडिट योजना' का शुभारंभ किया। इसके अलावा जोख़िमों के विकल्प के रूप में 'फसल बीमा योजना' को भी लागू किया गया। इस प्रक्रिया व नीति से निश्चित रूप से किसान अपने ऋण आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन वित्त-व्यवस्थाओं से लाभ प्राप्त करेंगे। भारत सरकार ने नाबार्ड जैसी संस्थाओं को इतना सुदृढ़ कर दिया है ताकि वे किसानों की वित्तीय-ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ग्रामीणों को वित्तीय-सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने वित्तीय-समावेशन और ऋण उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 1982 में नाबार्ड का गठन किया। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हम एक और

नीति को अमल में ला सकते हैं जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को बैंकों से जोड़कर कृषि खाता खोला जा सकता है। जिसमें बैंकों को भारतीय खाद्य निगम और कृषक के बीच एक कड़ी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

वर्ष 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का सहकारिता के क्षेत्र में बहुत अहम योगदान रहा है। इसने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जिस तरह से सहकारी बैंकों का उपयोग किया है, वह सराहनीय है। इसने न केवल सैद्धांतिक तौर पर सहकारी बैंकों की भूमिका को माना है बल्कि इसे लागू करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देश में विस्तृत रूप से वित्तीय-समावेशन को लागू करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसके लिए रणनीति बनाई है। भारत सरकार ने सुदूर क्षेत्र में अव्यवस्थित गाँवों तक वित्तीय-सेवा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को अपने साथ शामिल किया है। दोनों ने मिलकर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कई प्रकार की सुधार करने की नीति बनाई है। भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार इनकी निगरानी करेंगे, ताकि इसका फ़ायदा ग़रीब लोगों तक पहुँच सके। बीसी-आईसीटी-सीबीएस (बिजनेस कॉरस्पांडेंट-इन्फार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी-कोर बैंकिंग) द्वारा इस सेवा का विस्तार उन क्षेत्रों तक किया जाएगा, जहाँ अभी तक वित्तीय-सेवा की पहुँच नहीं हो पाई है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस विचार से ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने संबंधी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन यह एक बेहतर विकल्प ज़रूर उपलब्ध कराएगा।

भारत सरकार को वित्तीय समावेशन के एजेंडे को सफ़ल बनाने के लिए ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना को और बेहतर करना पड़ेगा। लोगों तक इनकी पहुँच बढ़ानी होगी। इसकी भूमिका को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने न केवल पीएसीएस को वाणिज्यिक बैंकों के व्यापारिक अभिकर्ता के रूप में काम करने की अनुमति दी है बल्कि किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक बैंकों और किसानों के बीच की कड़ी की भूमिका निभाने की भी अनुमति दी है।

इस अभियान के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं पहुँचाने और वित्तीय शिक्षा देने के प्रयास का एक महत्वपूर्ण पहलू है - ''भाषा''। भारत के अधिकांश प्रदेशों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में सार्थक योगदान दे रही है। भाषा के साथ वे माध्यम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जो इस अभियान को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उनमें समाचार-पत्र, व्यवसाय प्रतिनिधि और स्वयं सहायता समूहों का उल्लेख किया जा सकता है।

'भाषा' - संगठन और जनता के बीच सेतु का कार्य करती है। भारत के कई प्रदेशों में विभिन्न वित्तीय संगठन, सरकारी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय समावेशन का कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों को जागरुक बनाने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, न्याय तथा सामाजिक अधिकार के संबंध में मीडिया के द्वारा विभिन्न परियोजनाएं जनहित में जारी की जाती रही हैं ताकि उनका सामाजिक उन्नयन हो सके, वे किसी भी सामाजिक शोषण के शिकार न हों और उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके। उन्हें सामाजिक अधिकार प्राप्त हों, उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके, उनका सामाजिक स्थान बनाने के लिए सरकार सदैव प्रयासरत रहती है। उसी प्रकार उनकी वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय साक्षरता के लिए उन्हें सजग करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री डी. सुब्बाराव ने इसके लिए वित्तीय साक्षरता के संसाधनों को महत्वपूर्ण माना है। उन्होनें 'वित्तीय साक्षरता के संसाधनों का बेहतर आवंटन को सहायक माना है। जिससे अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास की संभावना मजबूत होती है। अगर हम अधिकांश आबादी को वित्तीय सेवाओं के व्यापक दायरे में ला सकते हैं, तो घरेलू व कुल राष्ट्रीय बचत को और भी बढ़ा सकते हैं।

वित्तीय साक्षरता के लिए आवश्यक है - ग्रामीण और वित्तीय सुविधाविहीन लोगों की मानसिकता एवं उनकी आर्थिक स्थिति। प्रायः देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग वित्तीय रूप से साक्षर होने के बावजूद भी वित्तीय समावेशन के दायरे में शामिल नहीं होना चाहते, वे अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा नहीं करते। उनकी इस नकारात्मक भावना को बदलना ही वास्तव में चुनौती है। डॉ. सुब्बाराव के अनुसार, ''वित्तीय जागरुकता एवं साक्षरता का अभाव वित्तीय उत्पादों की पहुँच की सीमा उपलब्ध होने के बावजूद उनका इस्तेमाल न कर पाने की मानसिकता प्रायः ग्रामीण लोगों में दिखाई देती है। लोगों की इस आदत को और स्वभाव को बदलना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय साक्षरता के लिए विभिन्न परियोजनाओं को ऐसे इलाकों में लागू कर रहा है। यह प्रयास स्वयं सेवी संगठन, ग़ैर सरकारी संगठन, ग्रामीण विकास एजेंसी, स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा सकता है।

प्र.का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

भ्रष्टाचार तेरी सदा ही जय

- पवन कुमार जैन

आज बहुत दिन पुत्तीभाई अपने चिरपरिचित वेशभूषा में दिखाई दिए.... कंधे पे झोला.... ढीला-ढाला कुर्ता और पायजामा.... मानो खेत में बजूका बनाने के लिए बाँस को कुर्त्ता पायजामा पहना दिया गया हो.... आते ही बिना दुआ-सलाम के तख़त पर हाथ-पैर फैलाकर लेट गए और लम्बी-लम्बी साँसें लेने लगे.... मैं इकबारगी तो डर गया कि कहीं.... इनकी अंतिम अरदास यहीं न करनी पड़ जाए.... मैंने अपनी शंका के निवरण के लिए जब उन्हें हिलाया-डुलाया तो वह उठकर बैठ गए.... कुछ उलझन थी शायद उनके मन में.... मैंने कहा .... क्या हुआ पुत्तीभाई.... वह बोले.... कुछ नहीं यह कम्बखत भ्रष्टाचार उन्मूलन सप्ताह मनाया जा रहा है.... अजीब लोग हैं.... एक सप्ताह में भ्रष्टाचार खतम कर देने की बात कर रहे हैं.... अरे जिस पेड़ को पनपने में सैकड़ों साल लग गए.... वह एक हफ़्ते में कैसे खतम हो जाएगा.... और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भ्रष्टाचार खतम भी क्यों हो.... हमने इसी के सायबान में साँसें ली हैं.... हमारी दिनचर्या से जुड़ गया है यह.... जब तक सौ-पचास रूपए लेकर घर न पहुँचो.... बीवी का मुँह सीधा नहीं होता है.... हज़ार लानत-मलानत देगी अपने माँ-बाप को.... कि किस कमबख्त के पल्ले बाँध दिया.... इससे तो अच्छा था कि बिन-ब्याहे पड़ी रहती.... बस सुबह-शाम इसकी गृहस्थी में जुझते रहो.... अमा बताओ.. .. तुम तो पढ़े-लिखे आदमी हो.... अगर भ्रष्टाचार खतम हो गया तो समझो हवा का बहना बंद हो जाएगा हमारे मुल्क में.... जैसे शरीर की नसों में लहू बहता है वैसे ही हमारे समाज की नसों में भ्रष्टाचार का लहू बह रहा है.... इससे पहले कि वह अपना फलसफ़ा झाड़ते.... मैंने कहा कि इतने थके-थके क्यों लग रहो पुत्तीभाई.... इतना सुनना था कि वह अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़ी ज़ोर से कराहे.... कमर को पुराने बाँस की तरह सीधी करने का प्रयास किया.... बोले अब क्या बताएँ मियाँ पूरी रात कमबख्त ट्रेन में संडास के किनारे बैठकर आया हूँ.... रिजर्वेशन कन्फर्म नहीं हुआ.... मैंने सोचा कुछ ले देकर काम बन जाएगा.... मगर टी.टी. अड़ गया बोला.... बर्थ खाली नहीं है.... सतर्कता हफ्ता चल रहा है.... इसलिए हफ़्ता देकर भी बर्थ नहीं मिलेगी.... मैंने अपनी तूणीर के सारे अस्त्र निकाल दिए.... मगर मुए ने न जाने कौन सी घुट्टी पी रखी थी कि इंच भर भी न हिला.... हमारे पूरे खानदान को न जाने कितनी उपाधियों से अलग विभूषित कर डाला.... अभी-अभी घर पहुँचा तो तुम्हारी भाभी ने डिक्लेयर कर दिया कि गैस खतम हो गई है.... गैस लेकर आओ तो चाय पानी का जुगाड़ हो.... मैंने सोचा कि नुक्कड़ पर ठेले वाले से कुछ ले देकर गैस ले लेंगे.... लेकिन उसके अंदर भी हरिश्चन्द्र की आत्मा प्रवेश कर गई है.... कहने लगा कि बाबूजी नम्बर आने पर गैस घर पर ही आ जाएगी.... अब बताओ हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम हिंदुस्तान में ही हैं या किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो गए हैं.... छोटी-छोटी ज़रूरतें कितनी आसानी से पूरी हो जाती हैं.... इस तथाकथित भ्रष्टाचारी छौंक से.... जन्म प्रमाण-पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण-पत्र तक की यात्रा में हमें कोई रुकावट नहीं होती है.... तुम भी खुश.... हम भी खुश के इरादे से लोग काम करते हैं.... हमें क्या ज़रूरत है कि हम हिंदुस्तान को अमेरिका-जापान जैसा बनाएँ.... हम उसे हिंदुस्तान ही बना लें यही काफी है.... मान लो यदि भ्रष्टाचार ख़तम हो जाए.... और सुविधा शुल्क न लिया या दिया जाए.... तो हमारी हिंदगी तो अपाहिज़ हो जाएगी ना.... आप हिल नहीं सकते.... इतने कानून और इतने पेंच बताए जाएँगे कि.... आपको लगने लगेगा कि आप पैदा ही क्यों हुए.... आप जिंदा हैं और आप आप ही हैं.... आपकी इस बात पर आपके ऊपर भरोसा नहीं है.... लेकिन यदि सीएमओ ने लिखकर दे दिया तो आप जीवित माने जाएंगे.... अपने को जिंदा बताने के लिए आपके दो चार जोड़ी जूते तो घिस ही जाएंगे.... रहमत भाई को रिटायर हुए 3 साल हो गए.... आज तक बेचारों को उनको पीएफ-पेंशन नहीं मिल पाई.... जाने सर्विस रिकार्ड में लिखा है कि आगे के दाँत टूटे हुए हैं. ... बेचारे को अब अपने आगे के दाँत शहीद करवाने पड़ेंगे.... अजीब कायदे हैं.... मैने कहा कि कुछ सेवा पानी करके दाँतों की सलामती नहीं हो सकती.... कह रहे थे कि बहुत कोशिश कर ली लेकिन काम बना नहीं.... आँतों से लाचार होने से बेहतर है कि.... दाँतों से लाचार हो जाऊँ.... मैं तो कहता हूँ कि तथाकथित सेवा-शुल्क को भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा ही ना जाए.... बेकार का कन्फ्यूजन बना हुआ है.... तब तक चाय बनकर आ गई थी.... पुत्तीभाई एकदम भुक्खड़ों की तरह चाय की तरह लपके कि कहीं चाय के प्याले पर ही सर्विस टैक्स न लग जाए.... अंदर किचन से कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी और इधर पुत्तीभाई चाय की ज़ोरदार सुड़की लगा रहे थे.... दोनों की जुगलबंदी में मैं ज़मीन को पैर के अंगूठे से कुरेदने की कोशिश करते हुए.... भ्रष्टाचार की सियासत और तिज़ारत पर कुछ उलझ-सुलझ रहा था....

- आँचलिक कार्यालय, लखनऊ

हमारे चित्रकार

सुश्री रमनदीप कौर सुपुत्री श्री हरबंस सिंह,
प्र. का. सामान्य प्रशासन विभाग, नई दिल्ली।

मास्टर निशांत सुपुत्र श्री मुरारी लाल,
प्र.का. मानव संसाधन विकास विभाग, नई दिल्ली।

श्री इंद्रजीत सिंह, प्र.का. सामान्य प्रशासन विभाग, नई दिल्ली।

सुश्री कृतिका सुपुत्री श्री मुरारी लाल,
प्र.का. मानव संसाधन विकास विभाग,
नई दिल्ली।

मास्टर दानिश रामटेके सुपुत्र श्री वीरेन्द्र रामटेके,
शाखा सोलन(हि.प्र.)।

क्रीड़ा जगत - उपलब्धियाँ

अखिल भारतीय सुरजीत मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट

बैंक की हॉकी टीम ने इंडियन आॅयल को 2-1 से पराजित कर दसवीं बार 'अखिल भारतीय सुरजीत मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट' जीता।

क्रीड़ा जगत - उपलब्धियाँ

बाबा फ़रीद हॉकी टूर्नामेंट

अखिल भारतीय पी.एस.बी. हॉकी अकादमी की टीम ने 'बाबा फ़रीद हॉकी टूर्नामेंट' में इंडियन एयरफोर्स को 2-0 से पराजित किया।

अखिल भारतीय गुरमीत मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट

बैंक की हॉकी टीम ने पंजाब नैशनल बैंक को 5-3 से पराजित किया।

50वीं नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट में बैंक की हॉकी टीम को मिली विजयश्री

बैंक की हॉकी टीम द्वारा '50वीं नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट' में विजेता स्वरूप प्राप्त ट्रॉफी।

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस. को बैंक की हॉकी टीम के कोच एवं कैप्टन विजेता ट्रॉफी सौंपते हुए। साथ में हैं बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री एम. के. जैन एवं श्री किशोर कुमार साँसी तथा अन्य उच्चाधिकारीगण।

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस. बैंक की हॉकी टीम के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप 21000/- रूपये का चेक प्रदान करते हुए।

50वीं नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट में विजेता स्वरूप प्राप्त हुई ट्राफी के साथ बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस. कार्यकारी निदेशक श्री एम. के. जैन एवं श्री किशोर कुमार साँसी व अन्य उच्चाधिकारीगण तथा हॉकी टीम के सदस्य खिलाड़ी।

बैंक की हॉकी टीम को बधाई देते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस.। साथ में हैं कार्यकारी निदेशक श्री एम. के. जैन एवं श्री किशोर कुमार साँसी।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस. बैंक की हॉकी टीम की हाल ही प्राप्त की गई उपलब्धि के बारे में बताते हुए टीम का एक खिलाड़ी।